नई समाजवादी क्रान्ति का उद्घोषक

बिगुल

मासिक समाचार पत्र • वर्ष 3 अंक 12
जनवरी 2002 • तीन रुपये • बारह पृष्ठ

कैसी है ये देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम का कैसा शोर!
राज कर रहे, कफ़नखसोट मुर्दाखोर!!

(सम्पादक)

लखनऊ। 13 दिसम्बर की घटना भारतीय शासक वर्ग के लिए संकटमोचक बन गयी है। ठीक उसी तरह, जिस तरह 11 सितम्बर की घटना अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मंसूबों को आगे बढ़ाने का बहाना बन गयी थी। भारतीय शासक वर्ग 'सीमापार आतंकवाद' से निपटने के नाम पर युद्ध और अन्धराष्ट्रवादी उन्माद पैदा कर उदारीकरण-कुचक्र के अड्डों को एक झटके से हटाने और पोटो जैसे दमनकारी कानूनों का पाटा चलाने का रास्ता भी साफ कर लेना चाहता है।

भारतीय जनता पार्टी के लिए तो 13 दिसम्बर किसी दैवी-वरदान से कम नहीं साबित हो रहा है। "सीमापार आतंकवाद" के बहाने देशभक्ति का मंत्रोच्चार तहलका के भूत से पीछा छुड़ाने के साथ-साथ ताबूत घोटाले का कलंक भी धोने के काम आ रहा है। साथ ही सिर पर पड़े चार विधानसभाओं के चुनावों की वैतरणी भी पार कर जाने की उम्मीद जाग उठी है। ऐसे में समूचा संघ परिवार राष्ट्रप्रेम प्रदर्शन के इस स्वर्णिम अवसर को भला क्यों हाथ से निकलने देगा। सो हिन्दुत्व के रणबांकुरे त्रिशूल-कटार, ध्वज-पताका और अग्निमुखी बाणों से सज्जित हो देश के दुश्मनों से दो-दो हाथ कर लेने रणभूमि में उतर आये हैं!

आडवाणी "सीमा पार आतंकवाद" से जूझ रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी "बौद्धिक आतंकवाद" से तो अरुण जेटली "मानवाधिकारवादी आतंकवाद" से। बीच-बीच में वाशिंगटन-लन्दन की तीर्थयात्रा भी हो रही है। आडवाणी लौट आये हैं। देश की रक्षा की जिम्मेदारी कन्धों पर लादे जार्ज फर्नांडीज रवाना हो चुके हैं। माननीय अटल जी भी ख्याति के अनुरूप अपनी वाणी का जौहर लगातार दिखाते जा रहे हैं। चुनावी रणक्षेत्रों का निशाना साधकर अग्निमुखी बाण छोड़ रहे हैं, तो वाशिंगटन-लन्दन के निशाने पर ठण्डी फुहारें छोड़ रहे हैं।

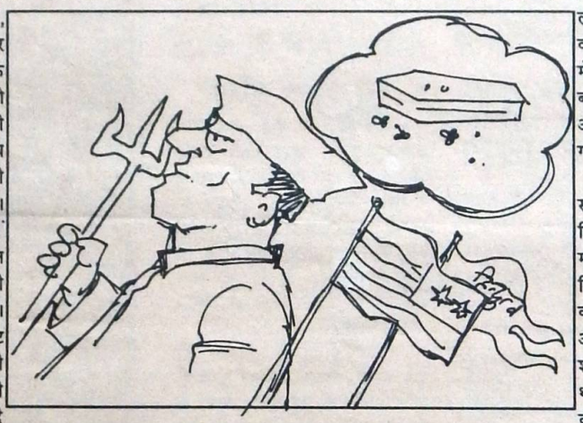

सीमा पर फौजें पहुंच चुकी हैं। शंखनाद अविराम जारी है। साथ ही दोनों शत्रु-शिविरों में कूटनीतिक दांव-घात भी जारी है। पंच भी आ-जा रहे हैं। मित्र शक्तियों से सलाह-मशविरे भी हो रहे हैं। दोनों खेमों से चेतावनियां भी दी जा चुकी हैं। टी.वी. चैनलों और अखबारों के रूप में आधुनिक संजय भी मौजूद हैं जो पल-पल का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। युद्ध जैसा सब कुछ है, बस अभी युद्ध शुरू नहीं है, सिर्फ युद्ध का गर्द-गुबार है।

लेकिन अगर युद्ध के गर्द-गुबार से ही काम बन जाये तो असल युद्ध लड़े बिना भी सेनाएं वापस अपने शिविर में लौट सकती हैं। बहरहाल, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में ही है।

जो चीज सामने है वह यह कि इस गर्द-गुबार में जो असली निशाने को जनता की नजरों से ओझल करने में शासक वर्गों को थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिलती दिख रही है। जनता के एक छोटे से प्रबुद्ध तबके को छोड़कर बाकी जनता यह नहीं देख पा रही है कि असल निशाना तो वह खुद है। उसकी आंखों पर देशभक्ति का मायाजाल जो रच दिया है!

देशभक्ति के इस मायाजाल के पीछे सबसे भीषण हमला जो मजदूर वर्ग पर होने वाला है वह है नये श्रम कानूनों का हमला। इसकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दूसरे श्रम आयोग की रिपोर्ट किसी समय आ सकती है और 24 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में अगर उसकी सिफारिशें कानून बन जाये तो अचरज नहीं। बाल्को के सौदे को सुप्रीम कोर्ट की हरी झण्डी मिल जाने के बाद अरुण शौरी अपनी पूरी ताकत से नये हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। नये बजट की तैयारियां भी जोर-शोर से चालू हैं और "सीमापार आतंकवाद" से देश की सुरक्षा के नाम पर जनता से भारी कुर्बानी मांगने की योजना बना ली गयी है। छंटनी-तालाबन्दी, महंगाई, बेकारी का नया दौर दस्तक दे रहा है।

इसके साथ ही जनता की आवाज कुचलने के लिए नयी तैयारियां भी जोरों पर हैं। जब बजट सत्र शुरू होगा तब तक चारों विधानसभाओं के चुनाव हो चुके होंगे। और यूं भी आतंकवाद विरोधी जो माहौल इस समय बना

(पेज 6 पर जारी)

भीतर के पृष्ठों पर...

जुझारू संघर्ष के लिए कमर कसनी होगी! 4
श्रम कानूनों में बदलाव पर 4
दिल्ली जनवादी अधिकार मंच की पब्लिक मीटिंग 5
पार्टी की बुनियादी समझदारी 7
मीना किश्वर कमाल : वर्जनाओं के अंधेरे में जो मशाल बन जलती रही 9
अर्जेण्टीना की घटनाएं 10
लेनिन के साथ दस महीने 11
अफगानिस्तान : ध्वंस के बाद अब 'पुनर्निर्माण' की बिसात पर साम्राज्यवादी चालें 12

आपने ठीक फरमाया क़ानून मंत्री महोदय !
'पालने से कफन तक' की जिम्मेदारी कफनखसोट नहीं ले सकते !

(बिगुल प्रतिनिधि)

दिल्ली। पिछले दिनों यहां एक मीटिंग में केन्द्रीय कानून मंत्री अरूण जेटली महोदय ने फरमाया कि हर नागरिक के लिए 'पालने से लेकर कफन तक' की जिम्मेदारी का बोझ उठाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम सिर्फ यह देखना है कि वह चादर से बाहर पांव न पसारे और चीजें सुगमता से संचालित होती रहें। यह उदारीकरण-सुभाषित उन्होंने "उदारीकरण के दौर में वित्तीय न्याय और आयकर अपील सम्बन्धी ट्रिब्यूनल की भूमिका" विषय पर बोलते हुए उचारा।

मंत्री बनने से पहले अरूण जेटली वकालत किया करते थे। इस पेशे के बारे में एक आम धारणा यह है कि अपने मुवक्किल की पैरवी में झूठ बहुत बोलना पड़ता है। हमें नहीं पता कि अपनी नयी जिम्मेदारी सम्भालते हुए (मंत्रालय का कामकाज सम्हालना) में श्री अरूण जेटली अपने पेशे की आम धारणा के अनुसार काम कर रहे हैं या उससे अलग, लेकिन यह तो अब तक बिल्कुल साफ जाहिर हो चुका है कि अपने मुवक्किलों की पैरवी करने में वे अपनी समूची प्रतिभा उलीच देते हैं। मंत्रालय की जिम्मेदारी भी वे अपने पेशेवर अन्दाज में सम्भाल रहे हैं। क्यों न सम्भालें भला ! उन्हें मंत्रालय में बैठकर देश-विदेश के बड़े-बड़े मुनाफाखोरों की पैरवी जो करनी पड़ रही है!

"उदारीकरण" का दौर शुरू होने के पहले भी देश में पूंजीवादी सरकारें ही थीं, लेकिन उस दौर की अनेक मजबूरियां ऐसी थीं कि उन्हें "कल्याणकारी" मुखौटा लगाकर काम करना पड़ता था। देश की मेहनतकश जनता के "पालने से कफन तक" की जिम्मेदारी तो वे तब भी नहीं उठाती थीं लेकिन मुनाफाखोरों की आने वाली पीढ़ियों तक की जिम्मेदारी वे तब भी मुस्तैदी से सम्भालती थीं। अपने मुवक्किलों की पैरवी करने के सहज पेशेवर जोश में जेटली जी ठीक इसी तथ्य पर पर्दादारी कर जनता की अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

देश-विदेश के चोटी के मुनाफाखोरों के काबिल वकील जनाब जेटली साहब, आप जनता की अदालत को गुमराह नहीं कर सकते। इस अदालत से अब यह छुपा नहीं है कि सरकारी खर्चों में कटौती कर और "कल्याणकारी" जिम्मेदारियों के बोझ से छुटकारा पाकर नये दौर में बेहयाई के साथ सरकार किन चीजों को सुगमता से संचालित करना चाहती है। सरकार अब अपने जिम्मे सिर्फ यह काम रखना चाहती है कि मुनाफाखोर सीना ठोंककर कैसे मुनाफा निचोड़ें और इसका पक्का इन्तजाम हो कि मजदूर किसी तरह की चूं-चपड़ न करें। नये दौर में राज्य इसी रूप में अपनी भूमिका को नये सिरे से तय कर रहा है।

(पेज 6 पर जारी)

बजा बिगुल मेहनतकश जाग, चिंगारी से लगेगी आग!

आपस की बात

मंदा चल रहा है यूनियनों का धंधा

एक दिन मैं और एक अन्य साथी लुधियाना की ई.डब्लू.एस. कालोनी में रहने वाले मजदूरों में 'बिगुल' का प्रचार करने निकले थे। लुधियाना के चंडीगढ़ ग्रेड पर सिएट वर्धमान मिल के पीछे बसाई गई इस कालोनी में हजारों मजदूर रहते हैं। इसी कालोनी में अभी कुछ ही दिन पहले एक 'मजदूर यूनियन' का दफ्तर खुला था। दफ्तर की छत पर लहरा रहे हंसिया-हथौड़े वाले लाल झंडे को देखकर हमारी भी उत्सुकता हुई कि यूनियन के बारे में कुछ जाना जाए। उत्सुकतावश हम दोनों उस यूनियन के दफ्तर में चले गये। यहां पर हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ। शायद इसलिए कि हमें वह 'ग्राहक' समझ बैठे थे। शायद उन्हें हमसे कोई केस मिलने की उम्मीद थी। दफ्तर में एक 'कामरेड' कुर्सी पर सुशोभित थे। लुधियाना में मजदूरों की यह परम्परा है कि भले ही झंडा किसी रंग का हो 'मजदूर यूनियन' वालों को कामरेड ही कहा जाता है। हमने दफ्तर में जाकर 'कामरेड जी' से उनकी यूनियन का नाम पूछा तो उन्होंने यूनियन का नाम बताने के बजाय अपनी पार्टी एम.सी.पी.आई. (मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया) का नाम बताया तो बात हमें समझ में आने लगी। तब हमने पूछा कि यूनियन का काम किस तरह चल रहा है तो कामरेड साहब तो रोने ही लगे। कहने लगे क्या बताएं काम बहुत ही मंदा चल रहा है। इस कालोनी में मजदूर तो बहुत ही कम रहते हैं, ज्यादातर कबाड़ बटोरने वाले ही रहते हैं। हम तो उन्हीं के झगड़े निपटाने में लगे रहते हैं। इसमें हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। मजदूरों का अगर कोई केस हमारे पास आता है तो, पांच-सात सौ से ज्यादा का नहीं होता। अब आप ही सोचिये, इसमें हमें कितना मिलता होगा। यूनियनों का काम तो बहुत मंदा हो गया है। हम तो दफ्तर बंद करने की सोच रहे हैं।

उस "कामरेड" ने अनजाने ही सब सच-सच बता दिया था। अपने भोलेपन में उसने लुधियाना के औद्योगिक इलाकों में खुले 'यूनियन दफ्तरों' की असलियत उजागर कर दी थी।

प्रमोद कुमार, लुधियाना

औरतों की बराबरी या मुनाफे की चिन्ता

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से अब स्त्रियों को भी रात की पाली में काम करने को बाध्य किया जा सकेगा।

न्यायपालिका का यह फैसला यह साबित करता है कि किस तरह पूंजीवाद स्त्री की बराबरी के अधिकार को भी मुनाफे में ढाल सकता है।

वरना क्या सचमुच पूंजीपतियों को स्त्रियों की गैर बराबरी की चिन्ता होने लगी है या उसे स्त्रियों का और ज्यादा सस्ता श्रम चाहिए जिसका दोहन करके वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। स्त्री साक्षरता के अभियान जो व्यापक पैमाने पर चल रहे हैं उनका उद्देश्य भी स्त्रियों को विश्व मंडी में खींचकर लाना है। स्त्रियों के श्रम के दोहन से नयी आर्थिक नीतियों के आने के बाद से ही तेजी के साथ होने लगा था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्त्रियों के अतिरिक्त श्रम से और अधिक मुनाफा कमाया जा सकेगा।

यहां गौरतलब है कि स्त्रियों के रात की पाली में काम करने से पूंजीपतियों को कई फायदे हैं। स्त्रियां किसी बात का विरोध नहीं करतीं, कोई यूनियन नहीं बनातीं और स्त्रियों को श्रम साध्य महीन कामों में देर तक लगाया जा सकता है।

न्यायपालिका की निष्पक्षता की बात भी बेमानी है क्योंकि यह स्पष्ट है कि वह भी पूंजीवाद के पक्ष में खड़ी है। चाहे खोखा-फड़ लगाकर रोजी कमाने वालों को सौन्दर्यीकरण के नाम पर हटाना हो या फिर प्रदूषण के नाम पर लाखों मजदूरों को बेघर-बेदर करना, और अब स्त्रियों का रात की पाली में काम करना, सभी में न्यायपालिका ने पूंजीपतियों का ही पक्ष लिया है।

जो नारीवादी यह कहती है कि पूंजीवादी दायरे के भीतर ही न्याय पाया जा सकता है उन्हें भी इस फैसले से यह समझ जाना चाहिए कि न्यायपालिका भी पूंजीपतियों की चाकरी ही करती है।

अत: स्त्रियों को इस पूंजीवादी साजिश को समझना होगा कि पूंजीवाद, जो जनवाद का मुखौटा लगाकर घूमता है, सभी कमजोर वर्गों के खिलाफ है, और उन्हें एक जुझारू संघर्ष के लिए अपने को तैयार करना होगा।

हंसी जोशी
जयपुर

भविष्य-चिंतन

छुट्टी का भोपा
भड़सार से निकले चेहरे
आ रहे हैं मजदूर
दिन भर का थका हारा
सोच रहे हैं नमक-रोटी की बात
या फिर बाबू की डांट
आज दिन भर का उत्पादन
या कल की मुसीबत
बीमार बच्चे की हालत
फिर पैसों की आफत
'लाला जी' की दुकान का उधार,
यूनियन का चंदा
सबने बना दिया निर्वाक
पी रहे हैं बीड़ी
जला रहे हैं कलेजा
बुझ गई हैं आंखों की रोशनी
रेत सा नीरस जीवन
सुबह से शाम तक
बोझ से चरमराती हड्डियां
मध्यान्तर का रूखा-सूखा अल्पाहार
रक्तहीन दुबला-पतला शरीर
फिर भी...
खुश है मन
कल जो फिर मिलेगा
यहीं पर काम

विजय कुमार सिंह
ईस्टर इण्डस्ट्रीज लि.
खटीमा, ऊधमसिंह नगर
(उत्तरांचल)

काले कानूनों से जनता न डरी है, न डरेगी

दिल्ली में बैठे हुक्मरान आतंकवाद के बहाने पोटो नामक जो नया कानून ला रहे हैं, इसकी सबसे अधिक मार हम मजदूरों पर ही पड़ेगी। इसलिए अब देश के मजदूर को जागना चाहिए और देश के अन्य प्रगतिशील हिस्सों के साथ मिलकर इस काले कानून का विरोध करना चाहिए।

दरअसल, देश के हुक्मरानों को देश की मेहनतकश आबादी से उठने वाले आंदोलनों की आहट सुनाई दे रही है इसीलिए वह पहले ही ऐसे आन्दोलनों का गला घोंटने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और अब बारी इस देश के मजदूरों की है कि वह भी देश के हुक्मरानों के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाने की कोशिशों में जुट जाए। हुक्मरानों को भ्रम है कि शायद इस देश की जनता ऐसे काले कानूनों से डर जाएगी। वह भूल जाते हैं कि अंग्रेजों ने भी काले कानून बनाये थे, मगर फिर भी वे भारत को गुलाम नहीं रख पाये। अब इन काले अंग्रेजों (भगतसिंह के शब्दों में) का भ्रम जल्द ही दूर हो जाएगा कि ऐसे काले कानूनों से न तो जनता कभी डरी है, न डरेगी। जनता एक बार जब जाग जाती है तो कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकती।

विक्रम सिंह, लुधियाना

नारी पर अत्याचार की एक और मिसाल

छत्तीसगढ़ महिला जागृति संगठनकी ओर से शुभकामनाएं। एक ओर जहां महिला सशक्तीकरण वर्ष मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आज भी महिला 'टोनही' होने के नाम पर प्रताड़ना के दौर से गुजर रही है। हम एक ऐसी ही घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें पुरुषों क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ दीं

21 अक्टूबर, 2001 की सुबह रायपुर जिले के राजिम नामक विधानसभा क्षेत्र में तीन वृद्ध महिलाओं तिरीथ बाई, श्यामबाई और बिसाहीन बाई के जीवन में एक काला अध्याय जोड़ गई। गांव में सुबह सार्वजनिक बैठक का हांका लगाया गया जिसमें हर परिवार से एक पुरुष को उपस्थित होना था। इसमें भगत ने उपर्युक्त तीन महिलाओं पर टोनही होने का आरोप लगाया गया। इन महिलाओं को घर से बालों से घसीटकर जबर्दस्ती सभा में लागया गया। उनके ऊपर थूका गया, मारा-पीटा गया, करंट लगाया गया, नंगा किया गया। उनके कपड़ों में आग लगाकर उन्हें उसमें कूदने का कहा गया। इन्कार करने पर जलती राख से अंगारे खिलाए गए। जब उन्हें उल्टियां हुईं तो कहा गया कि टोनही जहर उगल रही हैं। पानी मांगने पर उन्हें जमीन पर पटककर उन पर पेशाब किया गया। इस बीच उन्हें मारना-पीटना जारी था। लेकिन इस पर भी अमानुषिकता का यह नंगा नाच थमा नहीं। पूरे गांव में सभी गलियों और मंदिरों से होते हुए उनको निर्वस्त्र हालत में उनका जुलूस निकाला गया। इस बीच उन पर भद्दी गालियों, लात घूसों की बौछार जारी रही। बाद में उन्हें बेदम हालत में सोसायटी के पास छोड़ दिया गया। बाद में उनके परिवार वाले उन्हें अपनी गोद और कंधे पर उठा कर घर ले गए।

लखकेरा की ये तीनों महिलाएं आम महिलाओं की ही तरह साधारण घरेलू, कामकाजी, मेहनतकश मजदूर महिलाएं हैं जिन्हें अपने कामों से फुरसत नहीं है। इन्हें टोनही करार देकर जो अमानवीय यातनाएं दी गईं, वे अक्षम्य हैं। क्यों सिर्फ महिला टोनही बनती है और पुरुष बैगा, जो टोनही से "छुटकारा" दिलाता है? ऐसे 'टोनही प्रकरण' इस समाज की गलाजत को ही दिखलाते हैं। सभी लोगों को समय रहते अंधविश्वासों से ऊपर उठना होगा। नहीं तो प्रताड़ित महिलाएं अपनी अस्मिताहीन लाशें ढोती रहेंगी। यह काम स्वयं महिलाओं के आगे आए बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि चुप्पी की कीमत महिलाओं को ही चुकानी पड़ती है। समय आ गया है कि महिलाएं अपनी अस्मिता का प्रश्न उठाएं, नारी-विरोधी हिंसा पर रोक लगाने का, ताकि ऐसी अमानुषिक घटनाओं से मानवता को फिर से शर्मसार न होना पड़े।

शशि साहल
छत्तीसगढ़ महिला जागृति संगठन

बिगुल का स्वरूप, उद्देश्य और ज़िम्मेदारियां

1. 'बिगुल' व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मज़दूरों के बीच क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा संस्कृति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओं से, अपने देश के वर्ग संघर्षों और मजदूर आंदोलन के इतिहास और सबक से मज़दूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूंजीवादी अफवाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ करेगा।

2. 'बिगुल' देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों के सही विश्लेषण से मजदूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा।

3. 'बिगुल' भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओं के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को यह नियमित रूप से छापेगा और स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मज़दूरों की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और व्यवहार में सही लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो।

4. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के बीच लगातार राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित करायेगा, उसे आर्थिक संघर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर "कम्युनिस्टों" और पूंजीवादी पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनबाजों से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सुधारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा ही कतारों से क्रान्तिकारी भरती के काम में सहयोगी बनेगा।

5. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी भूमिका निभायेगा।

बिगुल यहां से प्राप्त करें

◆ शहीद पुस्तकालय, डा. दूधनाथ, जनगण होम्यो सेवा सदन, मर्यादपुर, मऊ ◆ मौर्या बुक स्टाल, सआदतपुरा (निकट रोडवेज), मऊनाथभंजन, मऊ ◆ जनचेतना, जाफरा बाजार, गोरखपुर ◆ विजय इन्फारमेशन सेन्टर, कचहरी बस स्टेशन, गोरखपुर ◆ विश्वनाथ मिश्र, नेशनल पी.जी. कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर ◆ जनचेतना, डी 68, निरालानगर, लखनऊ ◆ जनचेतना स्टाल, काफी हाउस के पास, हजरतगंज, लखनऊ, (शाम 5 से 8.00) ◆ राहुल फाउण्डेशन, 69, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, लखनऊ ◆ विमल कुमार, बुक स्टाल, निकट नीलगिरि काम्प्लेक्स, ए ब्लाक, इंदिरानगर, लखनऊ ◆ रामपाल सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास विकास, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) ◆ रवीन्द्र कुमार, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय, पन्तनगर ◆ प्रोग्रेसिव बुक सेंटर, विश्वनाथ मंदिर गेट, बी.एच.यू. वाराणसी ◆ राजीव वर्मा, स्टूडेण्ट एजुकेशनल सेंटर, मैनाताली (पुलिस चौकी के पास), मुगलसराय, जिला-चन्दौली ◆ राजेन्द्र प्रसाद, रेणु मेडिकल की गली, मुख्य सड़क, रेणुकूट, सोनभद्र ◆ सत्यम वर्मा, 81, समाचार अपार्टमेंट, मयूर विहार-एक, दिल्ली ◆ ललित सती, एल.आई.सी., फैज रोड शाखा, दिल्ली ◆ नई किरण पुस्तक भंडार, एफ-56, हरकेश नगर, ओखला, नई दिल्ली ◆ डी. के. सचान, एस.एच- 272, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद ◆ सुनील कुमार सिंह, सेक्टर-12 बी, 3159, बोकारो इस्पातनगर, बोकारो ◆ गणपतलाल, ग्राम काजी रसूलपुर, पो.-तेघड़ा, बेगूसराय ◆ पीपुल्स बुक हाउस, पटना कालेज के सामने, पटना ◆ समकालीन प्रकाशन (प्रा.) लि. पुस्तक बिक्री केन्द्र, आज़ाद मार्केट, पीरमुहानी, पटना ◆ विमर्श, 22, स्वास्तिक काम्प्लेक्स, रसल चौक ,जबलपुर ◆ नरभिन्दर सिंह, द्वारा डा. सुखदेव हुन्दल, ग्रा/पो. सन्तनगर, जिला-सिरसा ◆ पंकज, प्लाट नं. 33, सेक्टर-15, सोनीपत (हरियाणा) ◆ सुखविंदर द्वारा कॉ0 दशरथ लाल, मकान नं. 14, लेबर कॉलोनी, गिल रोड, लुधियाना (पंजाब) ◆ राकेश गोरखा, सरस्वत पुस्तक मंदिर, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी दार्जीलिंग ◆ बुक मार्क, 6, बंकिम चटर्ज स्ट्रीट, कलकत्ता ◆ शर्मा बुक स्टाल, घान रोड, चराली, तिनसुकिया नेपाल ◆ विश्व नेपाली पुस्तक सदन, श्वनपथ, बुटवल, रुपनदेई, नेपाल ◆ विशाल पुस्तक सदन बिजुवार बाजार, प्यूठान राप्ती अंचल ◆ विशाल पुस्तक पसल, अस्पताल लाइन बुटवल, लुम्बिनी, नेपाल ◆ लक्ष्मी नारायण मिश्र, 853, हिरनमगरी, सेक्टर 4, पूजानगर उदयपुर (राज.)

पोटो के विरोध में संयुक्त प्रदर्शन

संभलो कि लग गया है ताला जुबान पर !

(कुमायूं रिपोर्टर)

जनविरोधी काले कानून आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटो) के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने 4 जनवरी को उत्तरांचल राज्य के कुमायूं क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा, नैनीताल जिले के हल्द्वानी व रामनगर में तथा ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर व काशीपुर में जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारियों के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे गये।

अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मंच, प्रगतिशील छात्र मंच, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, बिगुल मजदूर दस्ता, मजदूर किसान संघर्ष समिति, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, जनवादी लोकमंच, जनसंग्राम मंच व संयुक्त मजदूर संघर्ष मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से कहीं जुलूस निकाला गया तो कहीं जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किये गये। हर जगह कार्यकर्ताओं ने 'काला कानून पोटो वापस लो', 'आतंकवाद बहाना है, जनता ही निशाना है', 'भाजपा सरकार का एक ही मन, दमन, दमन, दमन,' 'पोटो कानून रद्द करो' आदि नारे लगाये और विभिन्न सभाओं को सम्बोधित किया।

राष्ट्रपति महोदय को भेजे गये ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा पारित पोटो (संशोधित पोटो-2) नागरिक आजादी और जनतांत्रिक अधिकारों पर पूरी तरह से अंकुश लगा देने वाला एक खतरनाक कानून है। यह मौजूदा कानून के उस बुनियादी सिद्धान्त को ही नकारता है कि जब तक दोष साबित न हो जाये व्यक्ति को निर्दोष माना जाये। इसके तमाम प्रावधान संविधान में प्रदत्त बुनियादी व मूलभूत अधिकारों को कुचलने के साथ ही न्यायपालिका के अधिकारों तक पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह मानवाधिकार चार्टर तक की खुली अवहेलना करता है।

ज्ञापन में लिखा है कि यह जनवाद विरोधी कानून अपने पूर्ववर्ती कानून 'टाडा' से भी कई मायनों में ज्यादा खतरनाक है। यह टाडा की ही तरह नयी न्यायिक प्रक्रिया को तो सामने लाता ही है, इसमें पुलिस रिमाण्ड की अवधि बढ़ा दी गयी है। इसके तहत पुलिस के सामने दिये गये इकबालिया बयान को गवाही माना गया है, जमानत पर रिहाई लगभग असम्भव बना दी गयी है, सजाएं और कठोर कर दी गयी हैं और अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई की कार्रवाई एकतरफा बना दी गयी है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह इतना खतरनाक कानून है कि जिसमें महज "मंशा" भर परिभाषित होने से जुल्म साबित हो जाता है। ज्ञापन में इसे कानूनी रूप देने का विरोध करते हुए तथा इसे रद्द करने की मांग करते हुए लिखा है कि व्यापक विरोध के कारण जिस टाडा कानून को खत्म किया गया उससे भी ज्यादा खतरनाक पोटो को व्यापक जनविरोध के बावजूद लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक इसका विरोध कर रहा है। विरोध के कारण ही यह संसद में कानूनी रूप नहीं ले सका। बावजूद इसके और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों की भी अवहेलना करते हुए 'पोटो' को पुनः सरकार ने पारित कर दिया।

इस अवसर पर आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आपातकाल के काले अंधेरे दौर की समाप्ति के बाद से ही अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। जैसे-जैसे देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, शासक वर्ग उतना ही दमनकारी होता जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि आपातकाल के दौर में चूंकि शासक वर्ग बंटा था इसलिए उसका आपसी विरोध भी था। लेकिन इस दौर में शासक वर्ग नीतियों में एकमत है। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार संगठित अपराध निरोधक अध्यादेश 'पोका' लाने का प्रयास कर रही है तो महाराष्ट्र में इसी किस्म का 'मोक्का' कानून लागू है। संसद में विरोध तो चुनावी गोटियों के कारण है।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार पोटो लाने की फिराक में तो लम्बे समय से थी, 11 सितम्बर की अमेरिकी घटना और 13 दिसम्बर को संसद की घटना ने तो बस बहाना मुहैय्या कराया है। पोटो की असली 'मंशा' तो जनसंघर्षों को कुचलना है।

वाम मोर्चा सरकार का पूंजीपतियों को नया तोहफा

नयी जूट मिलों में न्यूनतम मज़दूरी नहीं

(कार्यालय प्रतिनिधि)

लखनऊ। पश्चिम बंगाल में सी.पी.आई. (एम.) के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार 'पूंजीपतियों पर फूल बरसाओ और मजदूरों पर कोड़ा' की नीति पर मुस्तैदी से आगे बढ़ती जा रही है। ज्योति बसु के रिटायर होने के बाद मुख्यमंत्री बने बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कुर्सी पर बैठने के साथ ही यह घोषणा की थी कि प्रदेश में वे उद्योगों के प्रति दोस्ताना माहौल बनाने के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। अपने इस वचन को निभाने की नयी कड़ी में उन्होंने प्रदेश के पूंजीपतियों को एक शानदार तोहफा दिया है-अब प्रदेश में खुलने वाली नयी जूट मिलों में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री भट्टाचार्य का यह मानना रहा है कि उनकी पार्टी और सरकार को अब मजदूर हितैषी का चोला उतार फेंककर उद्योग हितैषी का नया चोला धारण करना चाहिए तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। अपने इसी विश्वास को पुख्ता बनाने के लिए उन्होंने पूंजीपतियों को यह तोहफा दिया है। इतना ही नहीं, नयी जूट मिलों में मजदूरों को पांच सालों तक कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। मजदूरों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। चपरासी व सफाई कर्मचारी ठेके पर रखे जाएंगे। सबसे बढ़कर यह कि इन मिलों में दो से ज्यादा यूनियनों की इजाजत नहीं दी जायेगी।

ये फैसले पिछले नवम्बर महीने में जूट उद्योग के बड़े उद्योगपतियों और राज्य सरकार के आला अफसरों की एक बैठक में लिये गये। अब तक पांच जूट मिलों को इन छूटों पर काम शुरू करने की इजाजत भी मिल चुकी है। इनमें तीन कूच बिहार, एक झाड़ग्राम और एक अंडाल में खुली हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के ये नये फैसले कतई हैरत में डालने वाले नहीं हैं। दरअसल, भूमण्डलीकरण के नाम पर देश में पिछले एक दशक से जो लहर चली है, उसमें अब वामनामधारी धोखेबाजों के लिए मजदूर हितों का ढोंग करना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है। अब दो नाव में पैर रखना उनके लिए सम्भव नहीं रह गया है। इसलिए वे अब पूरी बेहयाई के साथ पूंजीपतियों के पाले में खड़े होकर भूमण्डलीकरण-राग गा रहे हैं। अब 'दुनिया के मजदूरों एक हो' के बजाय उनका नया नारा बन गया है-दुनिया के मजदूरों भाड़ में जाओ!

रेड एक्सपोर्ट जनकपुरी लुधियाना

मज़दूरों के शोषण-उत्पीड़न का अड्डा

(बिगुल प्रतिनिधि)

लुधियाना। पंजाब के औद्योगिक महानगर लुधियाना के जनकपुरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है राजकमल एक्सपोर्ट जो अब रेड एक्सपोर्ट के नाम से बदनाम है। जनकपुरी, सुंदरनगर, बस्ती चौक का यह इलाका हजारों छोटी-बड़ी हौजरियों का गढ़ है। यहां हजारों मजदूर दिन-रात अपना खून-पसीना एक करते हैं। पर नतीजा यही होता है कि मजदूरों के हिस्से भूख, तंगी, मारपीट, गाली-गलौज और अपमान ही आता है और मालिकों की तिजोरियां भरती हैं।

रेड एक्सपोर्ट इस इलाके में मजदूरों के बीच एक बदनाम फैक्ट्री है। कोई भी मजदूर यहां काम नहीं चाहता। लेकिन पेट की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इस फैक्ट्री के बदनाम होने का कारण है इसके मालिक अमृतलाल द्वारा मजदूरों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न। मजदूरों की मेहनत का उचित मूल्य तो लुधियाना की किसी भी फैक्ट्री में नहीं मिलता। मगर आर्थिक लूट के अलावा इस फैक्ट्री के मजदूरों को और भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अमृत लाल मजदूरों का इस प्रकार शोषण करता है जैसे कि मजदूर इन्सान न होकर कोई कीड़े-मकोड़े हों। अमृतलाल या उसका बेटा हर समय फैक्ट्री में मौजूद रहते हैं। यहां तक कि रात को भी उनमें से एक फैक्ट्री में ही सोता है। हर वक्त वह मजदूरों पर बाज जैसी निगाह रखते हैं। मजदूरों को एक पल भी चैन नहीं लेने देते। हर समय वे मजदूरों पर 'खा रहे आदमी की दाढ़ी हिलने' जैसे इल्जाम लगाकर उनकी तनख्वाह में से पैसे काटने की फिराक में रहते हैं। मजदूरों को बिना वजह पीट देना, मां-बहन की गाली देना यहां आम बात है। मालिक अक्सर मजदूरों से कई महीने काम करवाकर बिना पैसे दिये ही भगा देता है।

'रेड एक्सपोर्ट' में इंटरलाक की मशीनों के जरिए टी-शर्ट का कपड़ा बनता है। इस फैक्ट्री में कुल 28 मजदूर काम करते हैं जिनमें से एक भी मजदूर पक्का नहीं है। मजदूरों को न तो कोई पहचान पत्र दिया जाता है न वर्दी और न ही किसी हाजिरी रजिस्टर पर मजदूरों की हाजिरी लगती है। यानी बिना पैसे दिये काम से निकाल दिये जाने के बाद मजदूरों के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता जिससे यह साबित किया जा सके कि वह इस फैक्ट्री में काम करता था। सभी मजदूर दिहाड़ी पर काम करते हैं। आठ घंटे काम के बदले 1800 रूपये से लेकर 2000 रूपये तक तनख्वाह दी जाती है। ओवर टाइम के दोगुने पैसे नहीं दिये जाते। फैक्ट्री में कोई फोरमैन नहीं है। यह सभी काम इस फैक्ट्री का तानाशाह मालिक ही करता है।

मजदूरों को बोनस, प्राविडेंट फंड मिलने का तो सवाल ही नहीं है। तनख्वाह का कोई समय नहीं है। मजदूरों को कभी भी समय से पैसे नहीं मिलते। यह फैक्ट्री काल कोठरी की तरह है जो चारों ओर से बंद है। अंदर काम करने वाले मजदूरों को न तो कुदरती रोशनी मिलती है और न ही ताजी हवा। एक दमघोंटू माहौल में मजदूरों को 12-12 घंटे काम करना पड़ता है।

वर्कशॉप में मज़दूरों को दो गेटों के अन्दर बंद कर दिया जाता है। मालिक दोनों गेटों पर ताले लगा देता है। वर्कशाप के अन्दर से ही छत पर सीढ़ी जाती है लेकिन मालिक वहां भी ताला लगा देता है। ऐसी हालत में अगर कोई हादसा हो जाये तो मजदूरों के पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता बाकी नहीं रह जाता।

यहां पीने के पानी की भी बहुत दिक्कत है। गर्मी के दिनों में तो और भी मुसीबत रहती है। वर्कशॉप के दो गेटों के बीच एक वाटर कूलर है। यहां पर एक नेपाली मजदूर बैठा रहता है। वर्कशाप के गेट में थोड़ी सी जगह है। यहां से हाथ

(पेज 6 पर जारी)

ईस्टर श्रमिकों का आंदोलन जारी है

श्रमायुक्त कार्यालय पर श्रमिकों का जबर्दस्त प्रदर्शन

(बिगुल संवाददाता)

हल्द्वानी, 12 जनवरी। ईस्टर इण्डस्ट्रीज लि., खटीमा (ऊधमसिंह नगर) में 20 प्रतिशत बोनस देने, 15 निलम्बित व 13 श्रमिकों की अवैधानिक तालाबन्दी के खिलाफ श्रमायुक्त कार्यालय पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और सैकड़ों श्रमिकों ने पूरी रात जबर्दस्त प्रदर्शन किया। 11 जनवरी को दोपहर दो बजे से उत्तरांचल के श्रमायुक्त की मध्यस्थता में प्रबंध तंत्र और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच पूरी रात चली वार्ता प्रबंधकों के अड़ियलपन के कारण बेनतीजा समाप्त हो गयी। प्रबंध तंत्र निलम्बित और तालाबन्दी के शिकार श्रमिकों को काम पर लेने के लिए कतई तैयार नहीं हुआ।

उल्लेखनीय है कि 8.33 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत बोनस की मांग को लेकर ईस्टर श्रमिक पिछले 10 दिसम्बर से हड़ताल पर हैं। प्रबंध तंत्र हड़ताल के पहले ही ईस्टर इण्डिया इम्प्लाइज यूनियन 'इंटक' द्वारा 20 प्रतिशत बोनस की मांग पर विचार करने की जगह भड़काऊ कार्रवाईयों में संलग्न हो गया था। हड़ताल से तीन दिन पूर्व ही कारखाने में उसने अराजक तत्वों का जमावड़ा कर रखा था, जिसका विरोध करने पर निलम्बन व श्रमिक तालाबन्दी की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। प्रबंधकों ने कारखाने परिसर से 250 मीटर तक धरना-प्रदर्शन पर रोक के लिए न्यायालय से स्थगनादेश ले रखा था, जिसके विरुद्ध यूनियन ने उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया तो प्रशासन ने 250 मीटर कारखाना परिक्षेत्र में धारा-144 लगा दिया।

इस आन्दोलन के दौरान प्रबंध तंत्र और प्रशासन के अजूबे हथकण्डे सामने आये। तालाबन्दी किसी कारखाने या विभाग में होती है लेकिन यहां 13 श्रमिकों पर ही तालाबन्दी कर दी गयी। उधर उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाने की अजूबा एवं घृणित रूप दिखायी दिया। श्रमिक प्रतिनिधियों पर फर्जी मुकदमे कायम हुए। वैसे भी शासन-प्रशासन से कोई उम्मीद पालना बेइमानी होगा क्योंकि इस पूंजीवादी समाज में पूरा शासन तंत्र-सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका- पूंजीपतियों की ही सेवा में संलग्न रहता है।

यहां यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि कारखाने में दो यूनियनें हैं और दूसरी यूनियन हड़ताल और संघर्ष में शामिल नहीं है। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है मजदूरों में टूटन बढ़ती जा रही है जिससे प्रबंधकों के हौसले बुलन्द हैं। स्थिति की नजाकत को देखते हुए क्षेत्र के तमाम यूनियनों-संगठनों ने अपनी भागीदारी शुरू कर दी है।

श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान संयुक्त मजदूर संघर्ष मोर्चा, श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन, आनन्द निशिकावा इम्प्लाइज यूनियन, बिगुल मजदूर दस्ता, बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिवीजन, क्रांलोस, पछास सहित तमाम संगठनों ने भागीदारी की। उधर संयुक्त मजदूर संघर्ष मोर्चा की ओर से

(पेज 6 पर जारी)

रपट

श्रम कानूनों में बदलाव पर दिल्ली जनवादी अधिकार मंच की पब्लिक मीटिंग

शासक वर्गों के संगठित हमले के खिलाफ व्यापक मजदूर एकता जरूरी

दिल्ली। श्रम कानूनों में किये जा रहे बदलाव मजदूरों के अधिकारों पर शासक वर्गों का एक और संगठित हमला है, जिसके खिलाफ व्यापक एकजुटता की आज जरूरत है। यह बात दिल्ली जनवादी अधिकार मंच की पब्लिक मीटिंग में वक्ताओं ने कही। यह ठीक है कि मौजूदा श्रम कानून मजदूरों के हितों की रक्षा करने में नाकाफी थे और इन कानूनों का लाभ भी मजदूरों के उसी हिस्से को मिल पाया जिसने लड़कर इन्हें लागू करवाया। लेकिन आज सरकार श्रम कानूनों में जो बदलाव करना चाह रही है, उसका मकसद उन अधिकारों को भी छीन लेना है, जिन्हें मजदूरों ने लम्बे संघर्षों से अर्जित किया था।

दिल्ली जनवादी अधिकार मंच द्वारा आयोजित इस पब्लिक मीटिंग में मंच की ओर से 'बदलते श्रम कानून' शीर्षक से एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी। मंच की यह रिपोर्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के 5 बी और ठेकेदारी श्रम (नियंत्रण और उन्मूलन) 1970 पर केन्द्रित है। रिपोर्ट के अनुसार ये ही वे कानून हैं जिन्हें खत्म करने के लिए पूंजी लम्बे समय से प्रयासरत है।.. ,पिछले एक दशक में मजदूर विरोध ी आर्थिक नीतियों ने लाखों मजदूर परिवारों की रोजी-रोटी छीनी है। नये श्रम कानून लागू होने के बाद के तबाही के मंजर की कल्पना की जा सकती है। मंच का मानना है कि विधायिका, न्यायपालिका के साथ ही विगत वर्षों में उच्च मध्यम वर्ग और अभिजात तबकों का मजदूरों के अधिकारों, उनके संगठनों के प्रति विरोधी रवैया बढ़ा है।

31 दिसम्बर 2001 को दिल्ली के ओखला क्षेत्र में आयोजित यह पब्लिक मीटिंग बदलते श्रम कानूनों पर केन्द्रित थी। इस मीटिंग में मंच द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के साथ ही विभिन्न राज्यों से आये प्रतिनिधियों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया। दिल्ली के अलावा अन्य क्षेत्रों से आये मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियन कर्मियों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों एवं छात्रों ने इसमें शिरकत की। ए.आई.एफ.टी.यू., मेहनतकश मजदूर मोर्चा, बिगुल मजदूर दस्ता, वर्कर्स सालिडेरिटी, संधान, पी.एम.टी.यू., दिल्ली प्रदेश मजदूर जनसंगठन, दिल्ली लेदर कारीगर संगठन, डीएसयू, दिशा छात्र संगठन, आईएफटीयू, कमानी एम्प्लाइज यूनियन, अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज, पीयूडीआर, पीएसयू, एआईसीसीटीयू के अलावा बाहर से आये संगठनों में ठेकेदारी प्रथा विरोधी मंच, मुम्बई, संयुक्त मजदूर संघर्ष मोर्चा (उत्तरांचल), होण्डा श्रमिक संगठन, ऊधमसिंह नगर (उत्तरांचल) मुख्य थे।

विचार-विमर्श एवं अनुभवों के आदान-प्रदान में यह बात साफ तौर पर उभरकर आयी कि कारखानेदार मौजूदा श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाते रहे हैं और यह वे श्रम विभाग स्थानीय प्रशासन से साठगांठ एवं गुण्डों के दम पर करते रहे हैं। लेकिन फिर भी मजदूरों के पास कानूनी लड़ाई का एक हथियार था, जिस हथियार को उन्होंने लम्बे संघर्षों से अर्जित किया था। नये श्रम कानून न सिर्फ इस हथियार को छीन लेंगे, बल्कि मुनाफाखोरों की लूट को और अधिक वैधता प्रदान कर देंगे। दरअसल, नये श्रम कानून श्रम की लूट के हर तरीके को कानूनी जामा पहना देंगे। दिल्ली के तमाम क्षेत्रों के हालात को देखकर अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब देश की राजधानी में खुलेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, तो देश के अन्य हिस्सों की क्या स्थिति होगी। मंच एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में औसत मजदूरी 1800 रूपये प्रतिमाह है। दस फीसदी से भी कम मजदूरों के पास नियुक्ति पत्र कनफर्मेशन लेटर हैं। तीन चौथाई से ज्यादा मजदूर बिना किसी प्राविडेट फण्ड, ई.एस.आई. की सुविधा के खटने को मजबूर हैं।

श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय 5बी में होने वाला संशोधन बेहद खतरनाक है। इसके अनुसार नये कानून में जिस कारखाने में 1000 से कम परमानेण्ट मजदूर काम करते होंगे, उस कारखाने में मालिक जब चाहे तब छंटनी, ले आफ, कारखाना बन्द कर देने जैसी कार्रवाई कर सकता है। यहां गौरतलब है कि हिन्दुस्तान में मात्र एक प्रतिशत कारखाने ऐसे हैं, जहां पर 1000 या इससे ज्यादा मजदूर काम करते हैं। वक्ताओं का कहना था कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में आकर '5बी' में संशोधन करने का मन बना चुकी है।

मीटिंग में यह बात भी आयी कि भूमण्डलीकरण के इस दौर में एक उत्पाद बनाने के लिए पूंजीपति पूरी उत्पादन प्रक्रिया को एक कारखाना परिसर के अन्दर सम्पन्न नहीं कराना चाहता है। आज एक उत्पाद तैयार करने में अलग-अलग जगहों पर लगे उप कारखाने, ठेके के मजदूर से लेकर छोटे-छोटे स्तर पर काम कराया जाता है और फिर तमाम कलपुर्जों को इकट्ठा कर एक जगह वह उत्पाद असेम्बल कर दिया जाता है। इसके पीछे पूंजीपतियों की यह साजिश है कि एक ही उत्पाद को बनाने में लगे हुए मजदूर अपने को एक इकाई के रूप में न देख सकें और बिखरे रहें, जिससे कि शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट आवाज न उठा सकें। यही कारण है कि आज ठेकेदारी प्रथा को सरकार बढ़ावा दे रही है और ठेकेदारी श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 को बदलने की तैयारी चल रही है। साथ ही, मजदूरों के संगठन बनाने के अधिकारों को भी छीना जा रहा है।

वक्ताओं ने विधायिका और न्यायपालिका के वर्गीय चरित्र को भी रेखांकित किया। तमाम उदाहरणों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर पूंजीपतियों के संगठनों ने जो-जो मांगें उठायी हैं, उन्हें सरकार ने "जनता की सबसे बड़ी पंचायत" का ठप्पा लगाकर "वक्त की जरूरत" बताया है। सरकार 'पूंजीपतियों की मैनेजिंग कमेटी' है यह साफ हो चुका है। न्यायपालिका द्वारा पिछले कुछ बरसों में एक के बाद एक दिये गये मजदूर विरोधी फैसले न्यायपालिका के चरित्र की कहानी कह रहे हैं। वक्ताओं की बातों से यह दृढ़ विश्वास पुष्ट हुआ कि मजदूरों के सामने संघर्ष के अलावा अब और

(पेज 6 पर जारी)

निजीकरण की प्रक्रिया जारी, अब रेलवे की बारी

जुझारू संघर्ष के लिए कमर कसनी होगी!

(बिगुल संवाददाता)

बीमा, बैंक जैसे देश के बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के बाद सरकार ने देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्र रेलवे के निजीकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। पिछले 10 नवम्बर को नवी मुम्बई के तुर्भे यार्ड से निजी क्षेत्र की देश की पहली मालगाड़ी रवाना हो गयी। उधर रेलमंत्री नितीश कुमार ने राज्य सभा में रेलवे के निजीकरण से इन्कार करने के बावजूद इस बात को स्वीकार किया कि निर्माण एवं कार्यान्वयन की विभिन्न परियोजनाओं में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाता रहेगा।

तुर्भे और सालीमार (पश्चिम बंगाल) के बीच दस बोगियों वाली पहली साप्ताहिक मालगाड़ी को रवाना करते हुए रेल राज्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि दिल्ली और मंगलौर के बीच उत्तर रेलवे भी निजी पार्सल सेवा शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत रेलवे निजी कम्पनियों को ढांचागत सुविधा प्रदान करेगी जिसमें सामान की लदान और उतारना, उतारने के स्थान से दुकानों तक समय पर सामान पहुंचाना भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि यह पहली निजी पार्सल एक्सप्रेस रेल सेवा मध्य रेलवे और निजी क्षेत्र की परिवहन कम्पनी 'गैटी' का पहला संयुक्त उद्यम है।

दूसरी तरफ, राज्य सभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए रेल मंत्री नितीश कुमार ने सच को झूठ की चाशनी में लपेटते हुए कहा कि रेलवे ने बनाओ, चलाओ और हस्तान्तरित करो (बी ओ टी) के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाया है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि पूरे रेलवे के विशाल विभाग को किसी निजी कम्पनी को सौंप दिया जाएगा।

गौरतलब है कि "समाजवादी" नितीश कुमार रेलवे का निजीकरण न होने की रट उस वक्त लगा रहे हैं जब किश्तों में रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया चलाई जा रही है और राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास संस्तुति के लिए भेजी जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा रेलवे के पुनर्गठन के लिए प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार राकेश मोहन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संस्तुतियां तो सीधे-सीधे रेलवे के निजीकरण की बात करती है।

राकेश मोहन कमेटी का सुझाव है कि रेलवे बोर्ड को खत्म करके निजी क्षेत्र व अकादमिक क्षेत्र के भागीदारी वाले भारतीय रेलवे एक्जीक्यूटिव बोर्ड का गठन किया जाये और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति विश्व चयन प्रक्रिया के माध्यम से हो। रेलवे का निगमीकरण करके सरकार की भूमिका सीमित की जाए। नये मैनेजर लाए जाएं जिन्हें एजेण्ट का पद दिया जाए, रेल बजट को खत्म किया जाए। रेलवे की सभी उत्पादक इकाइयों, रखरखाव के समस्त कामों और इस काम में लगे सभी वर्कशापों, रेलवे में खान-पान सेवा, मालों की बुकिंग, पार्सल बुकिंग, आरक्षण आदि-सेवाओं, रेलवे अस्पतालों, रेलवे के सभी स्कूल-कालेजों का निजीकरण कर दिया जाए। रेलवे छापाखानों को और सारे रेलवे क्वार्टर्स को बेच कर संसाधन जुटाए जाएं। कमेटी ने सिफारिश की है कि जनता के विभिन्न तबकों को किराये में दी जाने वाली छूट को खत्म कर दिया जाए। यही नहीं कमेटी का मानना है कि देश में चलने वाली ग्यारह हजार सवारी गाड़ियों में से एक हजार बन्द कर दी जानी चाहिए। इस बारे में कमेटी का तर्क भी लाजवाब है। उसका कहना है कि यात्री ट्रेनों के कारण माल गाड़ियां ठीक से नहीं चल पाती हैं (पूंजीपतियों की माल ढुलाई जरूरी है अथवा आम जनता का आवागमन?)।

दरअसल, देश और पूरी दुनिया के पूंजीवादी लुटेरों की निगाहें देश के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम रेलवे पर लम्बे समय से टिकी हैं। चूंकि इतने विशालकाय उपक्रम का न तो एकमुश्त निजी हाथों में सौंपना आसान है न ही संभव। इसे एक प्रक्रिया में ही, धीरे-धीरे (गुपचुप तरीके से) ही करने की योजना बनी थी। पहले 18 लाख रेल कर्मियों की संख्या 9 लाख करने की योजना बनी (वर्तमान में यह 13 लाख पहुंच भी चुकी है), फिर किश्तों में इंजन व बोगी निर्माण, कुछ प्लेटफार्मों के रख रखाव का काम, साफ-सफाई, कुछ टूरिस्ट ट्रेनों का संचालन, माल ढुलाई, पार्सल ट्रेनों का संचालन, निर्माण एवं कार्यान्वयन की विभिन्न योजनाओं को निजी हाथों में सौंपा गया। फिर इसका निगमीकरण होगा और अन्ततः खण्ड-खण्ड में बांट कर पूरे रेल विभाग को मुनाफाखोरों के हवाले कर दिया जाएगा। यही उदारीकरण के दौर की हकीकत है।

बीमा, बैंक, सड़क, परिवहन, एयरलाइन्स, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, बाल्को-नेल्को के निजीकरण की जारी प्रक्रिया के बीच दूसरे दौर की प्रक्रिया और ज्यादा तेज, और ज्यादा घातक रूप में लागू हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के निजीकरण की संस्तुति कर दी है। गोवा में कुछ सर्वाधिक आकर्षक और लोकप्रिय समुद्र तटों के निजीकरण की योजना तैयार हो चुकी है और समुद्र तटों पर स्थानीय नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित हो चुका है, कर्नाटक में जलापूर्ति प्रबंधन निजी कम्पनियों को सौंपने की तैयारी हो चुकी है, रक्षा

(पेज 6 पर जारी)

सी.आई.आई. ने भी भेजा रेलवे निजीकरण का पैगाम

देश के उद्योगपतियों की शीर्ष संस्था भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने रेलवे में "सुधार" के लिए छह सूत्री प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजे हैं। बजट पूर्व भेजे गये इन प्रस्तावों में कर्मचारियों की छंटनी करने, निजीकरण करने और किरायों में वृद्धि का प्रावधान है।

अपने प्रस्ताव में सी.आई.आई. ने कहा है कि रेलवे को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए क्रास सब्सिडी समाप्त किया जाये। किराये में विशेषतया यात्री किराये में बढ़ोत्तरी की जाये। गैर लाभकारी विभागों में निवेश को सुपरिभाषित किया जाये। मालवाहक ट्रेनों की समयबद्ध सेवा सुनिश्चित हो, सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाया जाये।

इसके साथ ही सी.आई.आई. ने रेलवे में राजस्व बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में कटौती का प्रस्ताव रखा है। यही नहीं सी.आई.आई. का ठोस प्रस्ताव है कि रेलवे के कारोबार में निजी कम्पनियों की भागीदारी बढ़ायी जाये। निजी कम्पनियों को माल ढुलाई, रेलवे स्टेशनों के रख-रखाव और प्रबंधन, खानपान व होटल व्यवसाय, दूरसंचार व उत्पादन में भागीदार बनाया जाये।

वाम आर्गेनिक में भी छंटनी शुरू

आक्रोशित मजदूरों ने एकता का संकल्प बांधा

(बिगुल संवाददाता)

गजरौला (ज्योति बा फुले नगर), 10 जनवरी। भरतिया ग्रुप के कारखाने वाम आर्गेनिक लि. में 25 कर्मचारियों को निष्कासन के रूप में नववर्ष की सौगात मिलने के बाद टाइम आफिस के सात और कर्मचारियों को छंटनी का तमगा मिल गया। प्रबंध तंत्र द्वारा मजदूरों की छंटनी का रुख देखते हुए मजदूरों ने एकजुटता की पहल ले ली है।

भरतिया ग्रुप के अन्य कारखानों की ही तरह गजरौला स्थित इस कारखाने में भी कोई यूनियन बनने नहीं पायी है। प्रबंध तंत्र के दबाव व मनमानेपन के कारण दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की बात दूर स्थायी श्रमिकों की भी स्थिति संकटपूर्ण रही है। यूनियन के अभाव में प्रतिरोध की स्थिति नहीं के बराबर है। यहां के मजदूर अकेले-अकेले अपनी पीड़ा को झेलते रहते हैं।

देश के अन्य कारखानों की तरह इस कारखाने में भी प्रबंध तंत्र ने छंटनी की शुरूआत कर दी है। ऊपर से शुरू करते हुए प्रबंध तंत्र ने 25 कर्मचारियों-अधिकारियों को निष्कासित कर दिया। इनमें से छह तो वे हैं जिन्हें छह माह पूर्व ही श्रमिक वर्ग से ग्रेड-6 देकर स्टाफ में शामिल किया गया था। इसके पांच दिन बाद ही टाइम आफिस के सात और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इनसे जबर्दस्ती त्यागपत्र लिखवाने में जब प्रबंध तंत्र कामयाब नहीं हुआ तो उनके हिसाब का चेक घर भिजवा दिया गया। जब एक निष्कासित कर्मचारी ने कार्मिक प्रबंधक से कहा कि दस वर्षों से वह मजदूर था। उसे श्रमिक वर्ग में डाल दो तो प्रबंधक का कहना था कि स्टाफ के बाद अब श्रमिकों की भी छंटनी का नम्बर है।

इस घटना के बाद से कारखाने के श्रमिकों में भय, आशंका व आक्रोश व्याप्त है। मजदूरों ने प्रबंध तंत्र द्वारा गठित वर्क्स कमेटी के प्रतिनिधियों ने प्रबंधकों के सामने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी मजदूर को यहां से निकाला गया तो उन्हें मजदूरों के एकजुट विरोध का सामना करना पड़ेगा। मजदूरों ने स्वतः स्फूर्त ढंग से एकता बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। उधर प्रबंधकों ने एकता न बनने देने के लिए तिकड़में शुरू कर दी हैं। अलग-अलग मजदूरों को बुलाकर डराने-धमकाने, बहलाने-भरमाने का क्रम जारी है।

यह निश्चित है कि बिखराव की स्थिति रही तो छंटनी होकर रहेगी। लेकिन यदि मजदूरों में एकता कायम हो गयी तो वे इसका प्रतिरोध कर सकेंगे। मजदूरों को यह भी सोचना होगा कि छंटनी महज वाम कारखाने की ही घटना नहीं है, बल्कि यह पूरे देश व दुनिया के पैमाने पर आज के दौर की हकीकत बन चुकी है और जगह-जगह इसके खिलाफ प्रतिरोध भी जारी है। इसलिए उन्हें एकजुट होकर अपने ऊपर आए संकटों से तो जूझना ही होगा साथ ही उन्हें सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर अपने इलाके और पूरे देश के संघर्षरत मजदूरों के कंधे से कंधा मिलाना होगा। उन्हें संगठित होने और संघर्षरत होने की तैयारी में जुट जाना होगा।

यूनियन ने मांग पत्रक दिया तो दिल्ली के बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा

दृढ़ निश्चय से जीत निश्चित होगी !

(बिगुल संवाददाता)

रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर), 4 जनवरी। यहां स्थित होण्डा पावर प्रोडक्ट्स लि. में विभिन्न विभागों के स्थानान्तरण को लेकर लम्बे समय से बरकरार औद्योगिक विवाद की स्थिति, संशय-दुविधा व असमंजस की स्थिति को समाप्त करने के लिए श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन ने प्रबंध तंत्र को पांच सूत्री मांग पत्रक सौंपा। उधर क्षेत्रीय श्रमिकों के दबाव को देखते हुए अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) को त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। पहले दौर की वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गयी।

अपने पांच सूत्री मांगपत्रक में यूनियन ने लिखा है कि स्थापना के डेढ़ दशक के दौरान श्रमिकों के अथक परिश्रम और कार्य कुशलता के दम पर कारखाना एक समय में घाटे के बावजूद आज 30 करोड़ रूपये वार्षिक मुनाफे की स्थिति में पहुंच गया है। इसके साथ ही यहां का उत्पाद गुणवत्ता के मानदण्डों पर भी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की कसौटी पर खरा उतरा है। आईएसओ 9001 व आईएसओ 14000 की उपाधि इसके जीवन्त प्रमाण हैं। मांगपत्रक में कहा गया है कि कारखाने के विकास के लिए स्थापित शोध एवं विकास विभाग (आर एण्ड डी) को खत्म करके डी एण्ड डी (डिजाइनिंग एवं विकास) की स्थापना के बाद से ही स्थितियां विपरीत होती गयी हैं। वेल्डिंग-पेण्टिंग सहित तमाम काम बाहर ठेके पर दिये जाने लगे। पीडीसी प्लाण्ट यहां की जगह नोएडा स्थापित होने लगा। और अब एल्युनियम मशीन शाप, पैकिंग स्टोर आदि को स्थानान्तरित करने की योजना बना ली गयी है।

मांगपत्रक में कहा गया है कि श्रमिक संगठन के बार-बार आगाह करने के बावजूद प्रबंध तंत्र सकारात्मक रुख अख्तियार करने की जगह नकारात्मक रुख अपनाए हुए है। मजदूरों को मानसिक यंत्रणा देने से लेकर पूर्व यूनियन अध्यक्ष सहित दो श्रमिकों के निष्कासन की कार्रवाई इसके उदाहरण हैं। पूरे वर्ष भर अराजकता की स्थिति व्याप्त रही – कभी अचानक कार्य बंदियां, कैजुअल श्रमिकों की छुट्टी तो कभी भारी उत्पादन का टार्गेट। अति उत्पादन से गोदामों की क्षमता से ज्यादा माल स्टाक हो गया है। प्रबंध तंत्र द्वारा मृतक श्रमिक हेमन्त जोशी की लाश तक को घर भिजवाने (जो कि श्रमिकों के विस्फोट को देखते हुए प्रबंधकों को करना पड़ा था) से इन्कार करना, उसके सहायतार्थ अतिरिक्त कार्य तक की परम्परा को टालते जाना प्रबंध तंत्र के मनमानेपन का जीवन्त प्रमाण है।

संगठन ने प्रबंध तंत्र से मांग की है कि: (1) कारखाने से किसी भी विभाग के स्थानान्तरण की योजना को तत्काल निरस्त करे, (2) पूर्व में बाहर भेजे गये सभी कामों को वापस लाए, (3) कारखाने में आर एण्ड डी विभाग स्थापित करके विकास कार्यों को प्रारम्भ किया जाये, (4) कारखाना परिसर में खाली पड़े भारी भू-भाग में ही पीडीसी प्लाण्ट लगाकर यहां के अनुभवी कैजुअल श्रमिकों को स्थायी किया जाए तथा (5) अनुचित तरीके से निष्कासित पूर्व संगठन अध्यक्ष सहित दोनों श्रमिकों को तत्काल बहाल किया जाये।

होण्डा पावर प्रोडक्ट्स में शिफ्टिंग का मुद्दा

इसके साथ ही यूनियन ने होण्डा के कर्मचारियों-अधिकारियों के नाम एक अपील भी जारी की है जिसमें सभी कर्मचारियों-अधिकारियों का आह्वान किया गया है कि वे व्यक्तिगत, तात्कालिक क्षुद्र स्वार्थों से उबरकर इस समय में संघर्षरत श्रमिकों के संघर्ष के साथ खड़े हों। अपील में लिखा हुआ है कि जब कारखाना ही नहीं रहेगा तो श्रमिकों से ज्यादा बदतर स्थिति उनकी होगी। भले ही वे श्रमिकों को तुच्छ और अपने को विशिष्ट समझने का दम्भ रखते हों, लेकिन होण्डा प्रबंध तंत्र के घिनौने व क्रूर खेलों से वे कभी भी सुरक्षित नहीं रहे हैं।

अपील में लिखा है कि "एक और महाभारत मैदान में सज चुका है। आपको भी मनुष्यता की दृष्टि से अपनी पक्षधरता तय करनी होगी। श्रीकृष्ण महाभारत के नायक हैं और उन्होंने एक रास्ता दिखाया था। अपने इस महाभारत में भी श्रीकृष्ण के बताये रास्ते पर चलना होगा। न्याय और अन्याय के इस युद्ध में आपसे भी हम दोस्ताना व भाईचारे की अपील करते हैं। अन्याय के विरुद्ध न्याय के पक्ष में खड़ा होने की अपील करते हैं। हमें आपका खुला समर्थन व सहयोग चाहिए।..लड़ाई आर-पार की है, पक्ष आपको चुनना है।"

उधर दिल्ली में विभिन्न जनवादी व ट्रेड यूनियन संगठनों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, लेखकों, छात्रों ने प्रधानमंत्री के नाम सम्बोधित एक ज्ञापन प्रधानमंत्री, उद्योगमंत्री, उत्तरांचल के मुख्यमंत्री व होण्डा सील पावर प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक के पास भेजा है जिसमें ऊधमसिंह नगर स्थित होण्डा कारखाने अथवा उसके विभागों के स्थानान्तरण को रोकने और औद्योगिक शांति कायम करने की अपील की गयी है।

बहरहाल स्थिति बेहद नाजुक है। जहां यूनियन कारखाने के भीतर व बाहर एकता बनाने की जी-तोड़ कोशिशों के साथ शिफ्टिंग रोकने के लिए संघर्षरत है, वहीं प्रबंध तंत्र एकता तोड़ने के लिए प्रयासरत है। लगातार कुत्सित साजिशें रच रहा है और स्थानान्तरण के लिए मौके की तलाश में है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

यह वक्त कारखाने के श्रमिकों को सूझ-बूझ भरे संयम की और एकता तोड़ने की हर साजिशों को नाकाम करने का वक्त है। महाभारत में अर्जुन लक्ष्य भेदने में इसलिए सफल हुए थे क्योंकि उनकी निगाह चिड़िया की आंख पर थी। भटकाव या फिसलन बिखराव व पराजय को जन्म देता है जबकि दृढ़ निश्चय और लक्ष्य पर केन्द्रित निगाहें जीत की मंजिल तक ले जाती हैं।

विकल्पहीनता में पड़े मजदूर दलाल यूनियनों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं !

देश में जगह-जगह ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो मजदूरों के अन्दर आज व्याप्त हताशा-निराशा और मजदूर आन्दोलन में आये ठहराव को बेहद तीखेपन से उजागर कर रही हैं। कहीं यूनियन नेताओं की दलाली से आजिज आकर वे उन्हें पीट रहे हैं, यूनियन दफ्तरों पर धावा बोल रहे हैं तो कहीं उनकी हताशा आत्मघाती रूप में प्रकट हो रही है।

पिछले अक्टूबर महीने में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित डनलप कारखाने के मजदूरों ने सीटू के दफ्तर पर धावा बोल दिया था। नेताओं को जमकर मारापीटा था, दफ्तर में तोड़फोड़ की और कागजातों को आग के हवाले कर दिया था। इस हमले में मजदूरों के साथ उनकी गृहिणियां भी शामिल थीं। इस हमले में 10 लोग जख्मी हो गये थे।

मजदूरों का गुस्सा इस बात पर था कि 20 अगस्त से ही बन्द पड़े कारखाने को खुलवाने के लिए यूनियन कुछ नहीं कर रही है और सिर्फ कागजी कार्रवाई की कवायद कर रही है। इसमें मजदूर परिवारों में भुखमरी की नौबत आ गयी है।

हालांकि हमले के बारे में "सीटू" नेताओं का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े विरोधी यूनियन नेताओं ने मजदूरों को उकसाकर करवाया। हो सकता है मजदूरों के गुस्से को आंच में तृणमूल नेताओं ने अपनी रोटी सेंकनी चाही हो, लेकिन इसके बावजूद इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता कि आज पूरे बंगाल में सीटू मिल मालिकों की दलाली करने वाली यूनियन के रूप में बदनाम हो चुकी है और उसके खिलाफ मजदूरों में जबर्दस्त नफरत है।

इसी तरह 17 अक्टूबर को हावड़ा स्थित लाडलो जूट मिल के मजदूरों ने भी गुस्से में वहां कार्यरत इण्टक के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की थी और यूनियन नेताओं पर हमला किया था। यहां मजदूरों का गुस्सा इस बात पर भी था कि मालिकान ने पूजा (दुर्गा पूजा) के अवसर पर बोनस देने के बजाय एडवांस देने की नोटिस कारखाने पर लगायी थी जो पांच महीने में उनकी तनख्वाह से काट ली जायेगी।

इसके अलावा बंगाल में कुछ महीने पहले एक जूट मिल के छंटनीशुदा मजदूरों ने कारखाने के एक मैनेजर की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी थी। देखा जाये तो आज पूरे पश्चिम बंगाल में मजदूर आबादी नयी नीतियों और यूनियनों की दलाली से गुस्से से खदबदा रही है, जो अलग-अलग रूपों में फूट रहा है।

बंगाल ही नहीं पूरे देशभर से इस तरह की खबरें आये दिन अखबारों में आ रही है। हताशा-निराशा में मजदूर अपने परिवार सहित आत्महत्याएं भी कर रहे हैं।

इस समूची स्थिति का कारण यह है कि मजदूर सरकार और मिल मालिकों के संगठित हमलों के मुकाबले आज अपने को असहाय-निरूपाय महसूस कर रहा है। चुनावी पार्टियों की पिछलग्गू सभी यूनियनों के दलाल बन जाने से इनमें उसकी आस्था खत्म हो चुकी है पर उसके सामने कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। जब तक यह विकल्पहीनता मौजूद रहेगी तब तक आम मजदूरों का गुस्सा इन रूपों में भी फूटता रहेगा, यह एक त्रासद सच्चाई है।

यह स्थिति मजदूर आन्दोलन की क्रान्तिकारी ताकतों के लिए एक चुनौती भी उपस्थित कर रही है। अगर उन्होंने इस चुनौती में छिपी क्रान्तिकारी सम्भावनाओं की सही पहचान करते हुए सही रणनीति-योजना और क्रान्तिकारी रचनात्मकता के साथ नये सिरे से पहलकदमी की तो यह स्थिति मजदूर आन्दोलन के मौजूदा गतिरोध को तोड़ने का प्रस्थान बिन्दु भी बन सकती है। ❑

उन मजदूरों के लिए एक बहुत जरूरी किताब जो, अक्टूबर क्रान्ति का परचम एक बार फिर लहराना चाहते हैं।
उन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत जरूरी किताब, जो भारत में एक क्रान्तिकारी पार्टी का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं।
उन संगठनकर्ताओं की एक मार्गदर्शक पुस्तिका जो मेहनतकश जनता को संगठित करने के काम में लगे हुए हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन और उसका ढांचा

• लेनिन

बिगुल पुस्तिका - एक — मूल्य - 5 रुपये मात्र

प्रतियां मंगाने के लिए तत्काल लिखें :

जनचेतना
डी-68, निरालानगर,
लखनऊ-226020

जुझारू संघर्ष के लिए कमर कसनी होगी!

(पेज 4 का शेष)

मंत्रालय रक्षा उत्पादन के क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने पर पूंजीपतियों की शीर्ष संस्था भारतीय व्यापार महासंघ (सी आई आई) के साथ अन्तिम वार्ता कर चुकी है। लेकिन इस दूसरे दौर में सबसे महत्वपूर्ण है – श्रम कानूनों में घातक फेरबदल और रेलवे का निजीकरण।

आर्थिक मंदी के अन्तकालिक रोग से ग्रसित विश्व साम्राज्यवाद दीर्घजीवी बनने के प्रयास के तौर पर जिस ढांचागत समायोजन की कुख्यात नीति पर चल रहा है, भारत सरकार भी उसका हिस्सा है। विश्व साम्राज्यवाद के जूनियर पार्टनर की हैसियत से देश के पूंजीपति वर्ग की यह मजबूरी और आवश्यकता दोनों है कि वह मरते हुए पूंजीवाद को बचाने के लिए मेहनतकश वर्ग के हितों की बलि चढ़ाए। उत्पादन और वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को खुले बाजार के अधीन करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के दौर के पूरे ढांचे को बदलें। इसके लिए यह ज़रूरी था कि सरकारी-सार्वजनिक-रेलवे, डाक, दूरसंचार, बिजली जैसे तमाम क्षेत्रों को – वे जो देश की मेहनतकश जनता के खून-पसीने की मेहनत से न केवल खड़ी हो चुकी हैं, बल्कि मुनाफाखोरों के लिए दुधारू गाय बन चुकी हैं – को लुटेरों को औने-पौने दामों में सौंप दिया जाये। और पिछले एक दशक से गठित सभी सरकारों ने – चाहें कांग्रेस रही हो, संसदीय वामपंथियों से युक्त संयुक्त मोर्चा की सरकारें रही हों अथवा "स्वदेशी" झण्डाबरदार भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार – इसी एजेण्डे पर कार्य कर रही हैं। ट्रेड यूनियन आन्दोलन की पतनशीलता ने इस काम को और आसान बना दिया है।

कुल मिलाकर, वर्तमान हालात में, अन्य उपक्रमों की ही भांति रेलवे का भी खण्ड-खण्ड में बंटना और निजी हाथों में सौंप दिया जाना अब कुछ महीनों की बात है। इसके घातक परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को मज़दूरों-कर्मचारियों का एक प्रचण्ड आन्दोलन ही रोक सकता है। यह आज के दौर की निर्मम सच्चाई है कि वर्तमान कमजोर व घुटनाटेकू ट्रेड यूनियन नेतृत्व के कन्धों पर बदलाव की कोई लड़ाई न तो लड़ी जा सकती है और न ही जीती जा सकती है।

रेलवे की ही यूनियनों पर नज़र दौड़ाएं। यहां की सबसे बड़ी यूनियन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नान्डीज के पाकेट में है (74 के ऐतिहासिक रेल आन्दोलन की नैया भी इसी महामहिम की कृपा से डूबी थी)। संघ पोषित बी एम एस और कांग्रेसी इंटक की यूनियनों की बात तो दूर लाल पताकाधारी संसदीय वामपंथी यूनियनों से भी प्रतिरोध की उम्मीद लगाना बेमानी होगा। इन सबने ही तो पांचवे वेतन आयोग के उस खतरनाक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था जो 30 प्रतिशत छंटनी और रेलवे के निजीकरण का आधार मुहैय्या कराता है! और फिर निजीकरण-छंटनी-तालाबन्दी की जारी प्रक्रिया पर इनका रवैया जगजाहिर हो चुका है।

आज के दौर में निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र, संगठित हो या असंगठित, सभी मज़दूरों-कर्मचारियों की जुझारू एकता और ईमानदार नेतृत्व के दम पर ही इस घातक प्रक्रिया को रोका जा सकता है। रेलवे के मज़दूरों-कर्मचारियों को भी इसके लिए सचेत होना होगा। उन्हें अपनी एकता और प्रतिरोध के स्वर को मजबूती देनी होगी।

●

भारतीय रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया

ब्रिटिश रेलवे के निजीकरण के नतीजों के आईने में

(दो दशक पूर्व ब्रिटिश रेलवे के निजीकरण की शुरुआत हुई थी जो मज़दूरों-कर्मचारियों और आम जनता के लिए कितने विनाशकारी और पूंजीपतियों के लिए कितना लाभकारी साबित हुए, यह उसके नतीजों से जाना जा सकता है और भारतीय रेलवे के निजीकरण से भविष्य में आने वाले परिणामों की तस्वीर इस आइने में देखी जा सकती है। वैसे तो इस रिपोर्ट को एक लेख के माध्यम से 'बिगुल' में पहले भी (मार्च-अप्रैल.1998) दिया जा चुका है। हम यहां ब्रिटिश आडिट आफिस द्वारा उस वक्त प्रस्तुत रिपार्ट के हिस्से को पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। – सम्पादक)

ब्रिटिश ऑडिट आफिस की रिपोर्ट के मुताबिक निजीकरण के पहले सरकार द्वारा रेलवे को जो सब्सिडी दी जाती थी, आज उसका दूना देना पड़ता है। निजीकरण के बाद यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं और गुणवत्ता में काफी कमी आयी है। ट्रेनों का लेट चलना तथा स्थगित होना सामान्य नियम बन गया है। ट्रेन दुर्घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। दूसरी ओर निजीकरण के बाद नये मालिक अपनी पूंजी पर 25 हजार प्रतिशत तक मुनाफा कमा चुके हैं। चूंकि रेलवे के अलग-अलग हिस्सों और कार्यों को अलग-अलग पूंजीपतियों ने खरीदा है इसलिए सुविधाओं में गिरावट और दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी किसी पर नहीं आती है। किसी शिकायत की न कोई सुनवाई है और न कोई समाधान। रनिंग वाला ट्रैक वाले को, ट्रैक वाला सिग्नल वाले को, सिग्नल वाला रखरखाव वाले को, एक रेलवे प्रभाग का मालिक दूसरे प्रभाग के मालिक को दोषी बताकर अपना पल्लू झाड़ लेता है। कुल मिलाकर जनता की गाढ़ी कमाई की लूट का एक माध्यम बन गया है ब्रिटिश रेलवे।

ब्रिटेन में निजीकरण से पहले सरकारी बुद्धिजीवियों द्वारा जनता को यही बताया गया था कि सरकारी क्षेत्र की गिरावट का कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव तथा सरकारी अनुदानों पर निर्भरता है। निजीकरण इस समस्या का समाधान करके बेहतर व सस्ती सुविधा मुहैया करवाएगी। पर निजीकरण के बाद हुआ ठीक उल्टा। रही-सही प्रतियोगिता भी समाप्त हो गयी। सरकारी अनुदान को दोगुना करना पड़ा और फिर भी स्थिति पहले से बदतर हो गयी। अब तो स्थिति यह है कि जिस लाइन पर मुनाफा कम होता है उस पर ट्रेने चलाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। इस तरह कई ज़रूरी मार्गों पर ट्रेन संचालन बन्द हो चुका है। कुल मिलाकर घोर अराजकता का माहौल बन चुका है।

♦

श्रमायुक्त कार्यालय पर

(पेज 3 से जारी)

श्रमायुक्त से तत्काल हस्तक्षेप करके निलम्बन-तालाबन्दी खत्म करवाने, 20 प्रतिशत बोनस की जायज मांगें पूरी करवाने की मांग की गयी है। ज्ञापन में श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन, बिगुल मजदूर दस्ता, आनन्द निशिकावा इम्प्लाइज यूनियन, बीमा कर्मचारी संघ, हल्द्वानी डिवीजन व उत्तरांचल ऊर्जा कामगार संगठन रूद्रपुर के हस्ताक्षर थे।

ईस्टर की इस हड़ताल के बारे में तमाम श्रमिकों के कई सवाल हैं। उनके मन में कई प्रकार की आशंकाएं भी हैं। यूनियन के तौर-तरीके पर भी लोगों के प्रश्न हैं। और यह स्वाभाविक भी है। दो यूनियनों के बंटवारे से स्थिति और चिन्तनीय हो गयी है। लेकिन यह वक्त तमाम प्रश्नों को अपने भीतर जज्ब करके यहां के श्रमिकों की एकजुटता कायम रखाने और सम्मानजनक जीत के लिए संघर्षरत रहने की है। यहां के श्रमिकों की एक जीत तो यही है कि उन्होंने अपनी घुटन को महसूस किया। आन्दोलन को तो खत्म होना ही है लेकिन मन में उठे प्रश्नों पर भी विचारमंथन जरूरी है।

प्रबंध तंत्र आंदोलन को लंबा इसलिए खींचता है कि श्रमिक टूटकर अंदर आएं और वह अपनी शर्तों पर समझौता करे या यूनियन को अस्तित्वहीन बना दिया जाय। वह लाखों रूपये पानी की तरह बहा देता है ताकि वह अपने मिशन में कामयाब हो। यहीं पर श्रमिकों के धैर्य की परीक्षा होती है। उन्हें भी हर पल के लिए तैयार रहना चाहिए।

बहरहाल, रिपोर्ट लिखे जाने तक संघर्ष जारी है। यहां के मजदूर अपने साथियों को छोड़कर अन्दर जाने को कतई तैयार नहीं हैं। उनकी एकताबद्ध दृढ़ता उन्हें विजय अवश्य दिलायेगी।

कैसी है ये देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम का...

(पेज 1 का शेष)

दिख रहा है उसमें संसद के भीतर पार्टी देशद्रोही कहलाने का जोखिम मोल लेगी। यूं किसी वजह से अगर पोटो नहीं पास हो पाया तो भी अध्यादेश का रास्ता खुला ही हुआ है। फिर कई राज्यों में पोटो जैसे कानून तो पहले से ही लागू हैं। अमेरिका दौरे जाने से ठीक पहले आडवाणी 'महाराष्ट्र संगठित अपराध निरोधक कानून' दिल्ली में भी लागू करने की अधिसूचना जारी करवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी पूरी उम्मीद है कि देर-सबेर अपने घटक दलों की नाराजगी दूर कर बुद्धदेव भट्टाचार्य पोटो के भाई पोको को (संगठित अपराध निरोधक अध्यादेश) कानून बनवा ही लेंगे।

कहने का मतलब यह कि 13 दिसम्बर के बहाने शासक वर्ग ने कई निशाने एक साथ साध लिए हैं। भारत-पाकिस्तान युद्ध हो या न हो जनता के खिलाफ देश के शासक वर्गों का जो युद्ध जारी है, वह और प्रचण्ड होने वाला है।

इसलिए समूचे मेहनतकश अवाम को चेत जाने की जरूरत है। 'सीमापार आतंकवाद' से देश की सुरक्षा के बहाने देशभक्ति के मुखौटे के पीछे छिपे असली चेहरों को पहचानने की ज़रूरत है। राष्ट्रप्रेम के शोर में कफनखसोटों और मुर्दाखोरों के राज की असलियत मेहनतकश अवाम को पहचाननी ही होगी। इस राज को बहुत दिनों तक बर्दाश्त करना लगातार खुद अपनी ही कब्र खोदते जाना है। इसलिए इस राज का ही क्रियाकर्म करने की तैयारी तेज करनी होगी। इसकी शुरूआत की बुनियादी शर्त है इस राज द्वारा रचे गये मायाजाल से बाहर निकलना, अपनी कतारें सजाना।

आपने ठीक फरमाया कानून मंत्री महोदय !

(पेज 1 का शेष)

जनता की अदालत से यह भी छुपा नहीं कि अपने मुनाफाखोर मुवक्किलों की पैरवी के बदले में जो फीस आप और आपकी बिरादरी को मिलती है उससे आपका पेट नहीं भरता। आपकी बिरादरी की भूख का आलम यह है कि सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों के कफन (ताबूत) को भी नोचकर हजम कर जाने से वह परहेज नहीं आती। अगर हिकारत से जनता के बीच का कोई आदमी आपकी कफनखसोटों की बिरादरी का सदस्य बताये तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। और यह भी कि जो खुद कफनखसोट है, जो मौत के सौदागर हैं वे जनता के "पालने से लेकर कफन तक" की जिम्मेदारी भला कैसे उठा सकते हैं।

श्रम कानूनों में बदलाव पर दिल्ली जनवादी अधिकार मंच की पब्लिक मीटिंग

(पेज 4 का शेष)

कोई रास्ता नहीं है।

यह बात उभरकर आयी कि हाट की मानसिकता से उबरकर इस नये दौर में संघर्षों की नयी रणनीतियां तैयार करनी होंगी, कानूनी लड़ाईयां भी लड़ी जाये ताकि इस लूट और मुनाफे पर टिकी व्यवस्था का हर चेहरा बेनकाब हो सके किन्तु कानूनी पचड़ों में पड़कर संघर्ष के लम्बे कार्यक्रम में कोई ढिलाई न होने पाये। आज स्थेाई, अस्थाई ठेका, कैजुअल के बीच खड़ी सरकारी दीवारों को गिरा देने की जरूरत है, एक सेक्टर एक उद्योग से होते हुए व्यापक मजदूर एकजुटता कायम करना समय की मांग है। तमाम प्रतिनिधियों ने ऐसे मंचों, मोर्चों की आवश्यकता महसूस की जहां चुनाव बाज दुमछल्ले नहीं, बल्कि मजदूरों के सच्चे प्रतिनिधि महत्वपूर्ण तात्कालिक मुद्दों पर साझी कार्रवाई करें। निकट भविष्य में दिल्ली जनवादी अधिकार मंच की तरह पहल लेकर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन इस विषय पर हो, यह सुझाव सामने आया। इसके साथ ही एक सुझाव यह भी आया कि जब संसद में ये श्रम कानून आये तो देश के अलग-अलग हिस्सों में एक ही दिन एक विरोध प्रदर्शन की कार्रवाई की जाये।

रेड एक्सपोर्ट जनकपुरी लुधियाना मजदूरों के शोषण...

(पेज 3 का शेष)

निकाल कर अन्दर काम करने वाले मजदूर नेपाली मजदूर से पानी मांगते हैं। नेपाली मजदूर कांच के छोटे से गिलास में मजदूरों को पानी देता है क्योंकि मालिक ने यही छोटा सा गिलास ही रखवाया है। मगर गर्मियों के दिनों में आदमी को ज्यादा प्यास लगती है और इस छोटे से गिलास से गला भी गीला नहीं होता। मजदूर जब बार-बार पानी मांगते हैं तो तंग आकर बहादुर वाटर कूलर बंद कर देता है और मजदूरों को गर्म पानी देने लगता है जिससे मजबूरन मजदूर को पानी पीना बंद कर देना पड़ता है।

फैक्ट्री में दो शिफ्टों में काम होता है। रात की शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों को लगातार 13 घंटे काम करना पड़ता है। रात के समय 14-15 मजदूरों की चाय के लिए सिर्फ आधा किलो गुड़ और 250 ग्राम चीनी दिया जाता है जिससे मजदूरों को एक हफ्ता काम चलाना होता है। दिन के समय काम करने वाले मजदूरों को दोपहर के भोजन के लिए मालिक सिर्फ एक घंटे की छुट्टी देता है मगर उसके भी पैसे काट लेता है।

ऐसी दयनीय स्थिति है इस फैक्ट्री के मजदूरों की। लुधियाना की अन्य फैक्ट्रियों की तरह यहां भी मजदूरों का कोई संगठन नहीं है जो मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ सके। भले ही इस इलाके में अनेक दुकाननुमा यूनियनें हैं जो जगह-जगह अपने दफ्तर खोले बैठे हैं। इनका काम ही मजदूरों को लाल झंडे के नाम पर लोगों को गुमराह करके दलाली करना है। ऐसी दलाल यूनियनों की वजह से मजदूरों ने इनसे मुंह मोड़ लिया है। मगर इस तरह से काम नहीं चलेगा। लुधियाना के हौजरी मजदूरों में से कुछ सचेत मजदूरों ने 'बिगुल' के साथ जुड़कर मजदूरों को जगाने, संगठित करने की एक नई शुरूआत की है। उम्मीद है कि जल्द ही लुधियाना में मजदूरों का एक लड़ाकू संगठन बनेगा, जिससे मजदूरों को शोषण-उत्पीड़न से राहत मिलेगी।

(लुधियाना के कुछ हौजरी मजदूर)

विशेष सामग्री

(बारहवीं किश्त)

पार्टी की बुनियादी समझदारी

अध्याय - 5

पार्टी के "तीन करने योग्य और तीन न करने योग्य" का सिद्धान्त

एक क्रांतिकारी पार्टी के बिना मजदूर वर्ग क्रांति को कतई अंजाम नहीं दे सकता। लेनिन ने इस बात को बार-बार जोर देकर कहा था। स्तालिन और माओ ने भी बराबर इस बात पर जोर दिया और बीसवीं सदी की सभी सफल सर्वहारा क्रान्तियों ने भी इसे सत्यापित किया।

लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी के सांगठनिक उसूलों का निर्धारण किया और इसी फौलादी सांचे में बोल्शेविक पार्टी को ढाला। चीन की पार्टी भी बोल्शेविक पार्टी की ही उत्तराधिकारी थी। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान, समाजवादी समाज में वर्ग-संघर्ष का संचालन करते हुए माओ के नेतृत्व में चीन की पार्अी ने अन्य युगान्तरकारी सैद्धान्तिक उपलब्धियों के साथ-साथ लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्तों को भी और आगे विकसित किया।

सोवियत संघ और चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के लिए बुर्जुआ तत्वों ने सबसे पहले यही जरूरी समझाा कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी का चरित्र बदल दिया जाये। हमारे देश में भी संसदीय रास्ते की अनुगामी नामधाारी कम्युनिस्ट पार्टियों मौजूद हैं। भारतीय मजदूर क्रांति को सफल बनाने के लिए भारत में भी सर्वहारा वर्ग की एक सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी खड़ी करने का काम सर्वोपरि है।

इसके लिए बेहद जरूरी है कि मजदूर वर्ग यह जाने कि असली और नकली कम्युनिस्ट पार्टी में क्या फर्क होता है और एक क्रान्तिकारी पार्टी कैसे खड़ी की जानी चाहिए।

इसी उद्देश्य से, फरवरी, 2001 अंक से हमने एक बेहद जरूरी किताब 'पार्टी की बुनियादी समझदारी' के अध्यायों का किश्तों में प्रकाशन शुरू किया है। इस अंक में बारहवीं किश्त दी जा रही है। यह किताब सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान पार्टी-कतारों और युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए तैयार की गयी श्रृंखला की एक कड़ी थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस (1973) में पार्टी के गतिशील क्रान्तिकारी चरित्र को बनाये रखने के प्रश्न पर अहम सैद्धान्तिक चर्चा हुई थी, पार्टी का नया संविधान पारित किया गया था और संविधान पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। इसी नई रोशनी में यह पुस्तक एक सम्पादकमण्डल द्वारा तैयार की गयी थी। मार्च, 1974 में पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, शंघाई से इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की 4,74,000 प्रतियां छपीं। यह पुस्तक पहले चीनी भाषा से फांसीसी भाषा में अनूदित हुई और 1976 में प्रकाशित हुई। फिर नार्मन बेथ्यून इंस्टीच्यूट, टोरण्टो (कनाडा) ने इसका फांसीसी से अंग्रेजी में अनुवाद कराया और 1976 में ही इसे प्रकाशित भी कर दिया। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूल पुस्तक के इसी अंग्रेजी संस्करण से किया गया है।

- सम्पादक

एकताबद्ध हो, फूट मत करो

पार्टी की एकता की हिफाजत सर्वहारा क्रांति की विजय के लिए एक अमूल्य खजाना है। अध्यक्ष माओ ने इस बात के दो पहलुओं की तरफ इशारा किया है : "**एक तो पार्टी की आंतरिक एकता है, दूसरी पार्टी की जनता के साथ एकता है।** ये दो सर्वाधिक मूल्यवान हथियार हैं। कठिनाइयों से उबरने के लिए सभी पार्टी कामरेडों को इन्हें मजबूत बनाना चाहिए।" *(माओ त्से-तुङ, पीकिंग रिव्यू, नं. 27, जुलाई 7, 1972, पृ. 7)*

शोषक वर्गों के खात्मे और कम्युनिज्म की प्राप्ति के उनके ऐतिहासिक मिशन में सर्वहारा वर्ग और सभी मेहनतकश वर्गों का नेतृत्व करने के लिए सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक पार्टी को सही राजनीतिक कार्यदिशा के साथ ही साथ अपने संगठन के ठोसपन पर निर्भर रहना चाहिए। केवल एक ऐक्यबद्ध पार्टी ही व्यापक जनता को ऐक्यबद्ध कर सकती है, एक विशाल और शक्तिशाली क्रांतिकारी सेना का गठन कर सकती है, पार्टी के अन्दरूनी और बाहरी शत्रुओं पर जीत दर्ज कर सकती है और वही क्रांतिकारी संघर्ष में जीत हासिल कर सकती है। क्रांतिकारी एकता के बिना क्रांतिकारी विजय हो ही नहीं सकते। क्रांतिकारी एकता और क्रांतिकारी विजय में हमेशा ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इसीलिए सर्वहारा वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टी ने हमेशा पार्टी की एकता के लगातार सुदृढ़ीकरण को क्रांति और निर्माण के उद्देश्य की विजय की एक आवश्यक पूर्वशर्त समझा है और क्रांतिकारी एकता की हिफाजत को अपने संघर्ष का नारा बनाया है। जैसा कि इण्टरनेशनल उद्घोषित करता है : "**आओ हो ले अविकल, कल बनेगी मानव जाति, इण्टरनेशनल।**"

पार्टी की एकता को कायम रखना सही कार्यदिशा लागू किये जाने को सुनिश्चित करना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी समूची चीनी जनता की नेतृत्वकारी कोड है। जब पार्टी एकताबद्ध होगी तभी इसके पास अपनी कार्रवाईयों के लिए एक एकनिष्ठ विचारधारा, एकनिष्ठ इच्छा और एकनिष्ठ दिशा हो सकती है, और तभी सही राजनीतिक कार्यदिशा पूर्णरूप से लागू हो सकेगी। क्रांतिकारी संघर्ष के कठिन वर्षों के दौरान अध्यक्ष माओ के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में, हमारी पार्टी अपनी एकता और जनता के साथ एकता के बल पर नव जनवाद की सामान्य कार्यदिशा लागू करने, तीन मुख्य शत्रुओं को पराजित करने और सर्वहारा अधिनायकत्व के राज्य को स्थापित करने की गारण्टी देने में सफल रही है। मुक्ति के बाद हमारी पार्टी ठीक इसी तरह समाजवाद के सम्पूर्ण ऐतिहासिक दौर के लिए बुनियादी कार्यदिशा को लागू करने, अन्दरूनी और बाहरी दुश्मनों के बारम्बार होने वाले हमलों को असफल करने और समाजवादी क्रांति और निर्माण में शानदार जीतें हासिल करने में सफल रही है।

एकता के लिए काम करना या फूट डालने की कोशिश करना : सही कार्यदिशा और गलत कार्यदिशा में भेद करने में यह महत्वपूर्ण कसौटी हमारी मदद करती है। जब हम एकता की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य सिद्धान्तों पर आधारित एकता से होता है। हमारा मतलब होता है अध्यक्ष माओ के नेतृत्व वाली पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के इर्द-गिर्द एकता; अध्यक्ष माओ के क्रांतिकारी कार्यदिशा पर आधाारित एकता-इस प्रकार, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ-त्से तुंङ विचारधारा पर आधारित एकता। हम सर्वहारा अधिनायकत्व के सुदृढ़ीकरण के लिए एकताबद्ध होते हैं। इन सिद्धान्तों पर मजबूत पकड़ से ही सम्पूर्ण पार्टी की सच्ची एकता को कायम करना और एक सही कार्यदिशा को लागू करने में आगे बढ़ पाना सम्भव होगा। पार्टी के भीतर मौजूद अवसरवादी कार्यदिशाओं के नेता, जो राजनीतिक मोर्चों पर संशोधनवाद लागू करते हैं, सांगठनिक मोर्चे पर निरपवाद रूप से फूट डालने के लिए काम करते हैं। संशोधनवाद फूटवाद का राजनीतिक और वैचारिक स्रोत है। संशोधनवादी तत्व हमेशा फूट पैदा करने वाले होते हैं-यह एक वस्तुगत नियम है जो पार्टी में चले सभी दो लाइनों के संघर्ष में सही सिद्ध हुआ है।

जनवादी क्रांति के दौर में छन तू श्यू, लो चांग लंग और चांग कुओ-ताओ एण्ड कम्पनी जैसे लोगों के बीच से, कुछ संगठित विपक्षी गुटों और अन्य लोगों ने अपनी अलग केन्द्रीय कमेटी बना ली थी। उन सबों ने पार्टी को विभाजित करने का षड्यंत्र किया था। चू-चिन पाई, ली ली-सान, वांग मिन और अन्य सांगठनिक मोर्चे पर संकीर्णतावाद को लागू करते थे। उन्होंने केन्द्रीय कमेटी के अध्यक्ष माओ के नेतृत्व को खारिज कर दिया और सही कार्यदिशा को मानने वाले कॉमरेडों पर हमले किये। समाजवादी क्रांति के दौर में काओ कांग, जाओ शू-शी, पेंग ते-हुआई और ल्यू शाओ-ची, इन सभी ने सांगठनिक मोर्चे पर पार्टी विरोधी गठबंधन बना लिया था या फूटकारी गतिविधियों को जारी रखने और सत्ता हथियाकर पुनर्स्थापना करने के लिए बुर्जुआ हेडक्वार्टर कायम कर लिया था। बुर्जुआ कैरियरवादी और षड्यंत्रकारी लिन प्याओ हमारी पार्टी में सबसे बड़ा फूटकर्ता था। अपनी संशोधनवादी कार्यदिशा और क्रांति-विरोधी राजनीतिक सिद्धान्तों को लागू करने के लिए और अध्यक्ष माओ के सर्वहारा क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धान्तों का विरोध करने के लिए उसने किसी से भी ज्यादा दुराग्रही तत्वों को संगठन में भर्ती किया, गुट बनाए, क्रांति-विरोधी शक्तियों को बढ़ावा दिया, एक बुर्जुआ हेडक्वार्टर खड़ा किया और अध्यक्ष माओ के नेतृत्व वाली केन्द्रीय कमेटी का विरोध किया। उसने और उसके सह-अपराधियों ने हमारी पार्टी, हमारी सेना और क्रांतिकारी कतारों की एकता को खण्ड-खण्ड करने के लिए वह सब कुछ किया, जो वे कर सकते थे। उन्होंने अपने हितों को आगे बढ़ाने वाली एक कार्य दिशा विकसित की, काडरों के चुनाव में भारी पैमाने पर पक्षपात किया और "मुट्ठी भर लोगों को बचाने के लिए विशाल बहुमत पर चोट करने" की एक दृढ़ बुर्जुआ प्रतिक्रियावादी कार्य दिशा को लागू किया। उन्होंने लगातार हो-हल्ला मचाया कि वे 'सत्ता का पुनर्वितरण' और 'नेतृत्व की शक्ति के लिए संघर्ष' करना चाहते हैं, जो उन्हें अंततः हमारे महान नेता अध्यक्ष माओ की हत्या की खोखली उम्मीद के साथ, एक दूसरी केन्द्रीय कमेटी स्थापित करते हुए और संशोधनवादी सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेकते हुए, समस्त क्रांति विरोधी तख्ता-पलट के प्रयास तक ले गया। यह सब साफ तौर पर दिखलाता है कि डाकू, षड्यंत्रकारी, फूटकर्ता लिन प्याओ सम्पूर्ण पार्टी, सेना और जनता का शत्रु था। अपनी आपराधिक गतिविधियों को छुपाने के लिए जिनका लक्ष्य क्रांतिकारी एकता का ध्वंस और पार्टी में फूट डालना था, लिन प्याओ ने दावा किया कि "अगर हम सहमत नहीं हैं तब भी हमें आपस में अवश्य सहयोग करना चाहिए।" यह भ्रांति पार्टी और क्रांतिकारी कतारों में एकता के वैचारिक आधार की उपेक्षा करती है; यह इस एकता की वर्ग-अन्तर्वस्तु से इंकार करती है, इस आशा में कि हम क्रांतिकारी सिद्धान्त और संशोधनवाद के विरूद्ध संघर्ष को त्याग देंगे। हमें इसकी एकदम पक्के तौर पर आलोचना करनी चाहिए।

पार्टी एकता अपने आप नहीं आती। जब तक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष है तब तक पार्टी में भी अवश्यंभावी रूप से दो लाइनों के बीच, एकता चाहने वालों और फूट चाहने वालों के बीच संघर्ष होगा ही। अध्यक्ष माओ ने कहा है : "**किसी भी पार्टी के बाहर, अन्य पार्टियां होती हैं, इसके अन्दर विभिन्न ग्रुप होते हैं, ऐसा हमेशा से रहा है।**" पार्टी के भीतर सही ढंग से संघर्ष पार्टी को मजबूत बनाने की एक जरूरी शर्त है। हमारी पार्टी में ऐसे कामरेड हैं, जो सांगठनिक रूप से जुड़ने के बावजूद, वैचारिक तौर पर पूर्ण रूप से नहीं जुड़े हैं। यही वह चीज है जो बुर्जुआ और निम्न बुर्जुआ विचारों का निरंतर प्रकट होना संभव बनाती है जो पार्टी की एकता के लिए एक बाधा बन जाती है। इसके अतिरिक्त अभी भी तमाम गद्दारों, गुप्त दलालों, बुर्जुआ कैरियरवादियों और मेहनतकश वर्गों के विरोधी तत्वों के लिए हमारी पार्टी में रेंग आना सम्भव है। ऐसे व्यक्ति पार्टी की कतारों में जमींदार और पूंजीपति वर्ग के दलाल होते हैं। पूंजीवादी पुनर्स्थापना की अपनी योजना को पूरा करने के लिए वे हमेशा फूटवादी गतिविधियों में संलग्न होंगे और पार्टी की एकता को बरबाद करने की कोशिश करेंगे। यह चीज यह समझाती है कि क्यों एकता की कमी का सामने आना भी वर्ग संघर्ष का प्रतिबिम्बन है। पार्टी की एकता को बरकरार रखने और इसकी कतारों के शुद्धीकरण के लिए हमें मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्तों के आधार पर पार्टी के भीतर सक्रिय रूप से संघर्ष चलाना चाहिए।

इस संघर्ष को सही ढंग से चलाने के लिए दो प्रकार के अन्तरविरोधों में सख्ती के साथ भेद करना जरूरी है। गलतियां करने वाले कामरेडों के मामले में **एकता, आलोचना, एकता** *(माओ त्से-तुङ : 'जनता के बीच अन्तरविरोधों को सही ढंग से हल करने के बारे में)* और "**भविष्य में गलतियों से बचने के लिए अतीत की गलतियों से सीखो और मरीज को बचाने के लिए बीमारी को ठीक करो**" *(माओ त्से-तुङ, पार्टी की कार्यशैली में सुधार करो)* के सिद्धान्त के अनुसार काम करना चाहिए। ताकि विचारों को स्पष्ट करने और कामरेडों को ऐक्यबद्ध करने के दो उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। गन्दे तत्वों की बेहद छोटी सी संख्या, जो हमारी पार्टी में घुस आई है, उसका पर्दाफाश करना, संकल्पबद्ध होकर उसके विरुद्ध संघर्ष करना और उन्हें पार्टी से निकाल बाहर करना अत्यन्त आवश्यक है। हम संशोधनवादियों की फूटवादी गतिविधियों का दृढ़तापूर्वक विरोध करते हैं, लेकिन हम उनसे डरते नहीं हैं। ऐसा क्यों है कि अवसरवादी कार्यदिशाओं के नेताओं के पार्टी तोड़ने के बारम्बार

(पेज 9 पर जारी)

सड़कों पर बहता जनाक्रोश का लावा आने वाले भविष्य का संकेत

अर्जेण्टीना की घटनाएं

बीते साल के आखिरी महीने में अर्जेण्टीना की राजधानी ब्यूनस आयरस और आसपास के शहरों में भूख और बेकारी से बेहाल लोगों के गुस्से का जो लावा बह निकला, वह विश्व पूंजीवाद के चौधरियों और उनके लग्गुओं-भग्गुओं की नींदें उड़ाने वाला तो था ही, इससे भी अधिक वह भविष्य के विस्फोटों की आहट भी दे गया। अर्जेण्टीना की घटनाएं इसका साफ संकेत दे गयीं कि भूमण्डलीकरण के नाम पर विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के सरदार जो नीतियां एक-डेढ़ दशकों से थोपते आ रहे हैं उससे समूचे भूमण्डल पर कितना कोहराम मचा हुआ है। साफ है कि सतह के नीचे दबाव बढ़ता जा रहा है और ज्वालामुखी फूट पड़ने के लिए मुहाने तलाश रहा है।

...और अर्जेण्टीना के मुहाने से लावा अचानक नहीं फूट पड़ा है। पिछले दो दशक से अर्जेण्टीना के सत्ताधारी अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के नाम पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष-विश्व बैंक के नुस्खों पर अमल करते हुए ठीक उन्हीं नीतियों पर चल रहे हैं जिन पर हमारे देश के सत्ताधारी पिछले एक दशक से चल रहे हैं। वही निजीकरण-उदारीकरण की तंत्र साधना- छंटनी-तालाबन्दी, विदेशी पूंजी के लिए लाल कालीन बिछाना, शिक्षा, स्वास्थ्य व दूसरी सहूलियतों में कमी करते चले जाने की तजवीज। मुनाफाखोरों के मुनाफे पर आये संकट को "राष्ट्रीय संकट" बताकर "कड़े कदमों" की वही ठोकरें अर्जेण्टीना की मेहनतकश जनता को एक दशक पहले से ही खानी पड़ रही है जो हमारे सत्ताधारी पिछले दशक से देश की मेहनतकश जनता पर मार रहे हैं।

इस बात के कारण अर्जेण्टीना, या कहें कि समूचे लैटिन अमेरिका के इतिहास में है कि वहां की जनता के धीरज का बांध क्यों जल्दी टूट जाता है। बहरहाल, अर्जेण्टीना की जनता ने अपने इसी स्वभाव के कारण बहुत दिनों तक इन्तजार नहीं किया। 1988 में ही, जब मुद्राकोष विश्व बैंक के नुस्खों से लैटिन अमेरिका की बीमार अर्थव्यवस्थाओं का इलाज शुरू हुए बमुश्किल सात-आठ साल गुजरे थे, ठीक आज की ही तरह अर्जेण्टीना की जनता का गुस्सा फूट पड़ा था। पिछले दिसम्बर में तो यह दुहरा भर गया है – इस बार और अधिक प्रचण्डता के साथ।

जिन लोगों ने भी ब्यूनस आयरस की सड़कों पर डिपार्टमेण्टल स्टोरों को लूटते और खाने-पीने की चीजों को अपने साथ ले जाते लोगों की तस्वीरें अखबारों में या टी.वी. के पर्दे पर देखा होगा तो उन्हें साफ नजर आया होगा कि वे कोई पेशेवर लुटेरे नहीं थे। सीधे-सादे आम लोग थे वे। और केवल छंटनी-बेकारी के मारे मजदूर ही नहीं थे उस भीड़ में, शरीफ-भद्र मध्यवर्ग के लोग भी थे, पुरूष ही नहीं महिलाएं भी थीं।

राष्ट्रपति महल- *प्लाजा दि मेयो* को घेरकर भोजन और राष्ट्रपति *फर्नाण्डो दि ला रूआ* से इस्तीफा मांगने वाला जनसमूह स्वत: स्फूर्त ढंग से आंदोलित हो उठा था, किसी राजनीतिक समूह ने उन्हें संगठित नहीं किया था। लोगों का गुस्सा इतना प्रचण्ड था कि उन्होंने पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को भी जहां तक सम्भव था, टक्कर दिया, तमाम सरकारी इमारतों में जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। यह स्वत: स्फूर्त विस्फोट इस बात का प्रमाण था कि अगर किसी देश में क्रान्तिकारी शक्तियां जनाक्रोश को सही दिशा देने के लिए मौजूद नहीं होंगी तो बदहाल-परेशानहाल लोग नेतृत्व के इन्तजार में बैठे नहीं रहेंगे। समाज-विज्ञानी चाहे इसे अराजक विस्फोट की संज्ञा दें या "खाद्य दंगा" या कुछ और, लोगों का गुस्सा इसकी परवाह नहीं करता, एक हद के बाद वह फूट ही पड़ता है।

इस जनविस्फोट के प्रचण्ड झटके से अर्जेण्टीना के सत्ताधारी कुछ चेतेंगे या अपनी नीतियां बदलने के बारे में सोचेंगे, इसकी उम्मीद करना आज के विश्व पूंजीवाद के संकट को न समझना या पूंजीवादी शासकों के चरित्र को न समझना होगा। राष्ट्रपति फर्नाण्डो ला रूआ के इस्तीफे से कम कीमत पर जनता का गुस्सा शान्त नहीं हो सकता था, सो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि विपक्षी दलों को एक राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने का न्यौता देकर उन्होंने दो साल बाद होने वाले चुनावों तक कुर्सी से चिपके रहना चाहा था।

बहरहाल, विपक्ष के नेताओं में सबसे लोकप्रिय माने जाने वाले *अडोल्फो रोड्रिग्ज सुआ* पिछले 23 दिसम्बर को नये राष्ट्रपति बने हैं लेकिन ये महोदय भी नीतियों को बदलने नहीं जा रहे। गुस्साई जनता को शान्त करने के लिए ये अधिक से अधिक सिर्फ कुछ फौरी राहत के उपायों की घोषणाएं करेंगे – कुछ खाद्यान्न बंटवाना, रोजगार के कुछ फौरी उपाय, पर इससे अधिक कुछ नहीं। लगभग 132.1 अरब डालर का विदेशी कर्जा कैसे भरा जायेगा, लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच चुकी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इसके बारे में फिलहाल नये राष्ट्रपति के पास कोई जवाब नहीं है। और जाहिर है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी तो होगी नहीं। इसलिए नहीं, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं बाजार और मुनाफे के अपने ही तर्कों से चलती हैं, शासन चला रहे लोगों की सदाशयता या मजबूरियों के तर्क से नहीं।

लेकिन यह भी सही है कि विश्व पूंजीवाद के चौधरी अपने एक प्रमुख लूटक्षेत्र में आये संकट के समय अपने छुटभैय्या साझीदारों को अपने हाल पर नहीं छोड़ देंगे। इसलिए, क्योंकि यह किसी एक या दो पूंजीपतियों की कम्पनियों का संकट नहीं है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संकट है। इसीलिए, जब नये राष्ट्रपति रोड्रिग्ज सुआ ने पदभार ग्रहण करते ही यह घोषणा की कि उनका देश विदेशी कर्जों की तमाम देनदारियों को टाल रहा है तो वे चौंके नहीं। वे इतना तो समझते ही हैं कि बेचारा नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या ! और फिर अर्जेण्टीना की अर्थव्यवस्था को इस खस्तहाल मुकाम पर पहुंचाने में मुख्यत: विश्व पूंजीवाद के इन्हीं सरदारों और उनकी सेविका अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों की ही मुख्य भूमिका ही तो रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष-विश्वबैंक ने अर्जेण्टीना को जो भारी परिमाण में कर्जे दिये उनके साथ अर्थव्यवस्था में सुधार की जो शर्तें लगायी थीं उन्हीं का नतीजा तो यहां तक पहुंचा है। पिछले दिसम्बर माह की शुरूआत में ही मुद्राकोष ने अर्जेण्टीना की सरकार पर यह दबाव डाला था कि या तो वह अपनी मुद्रा *पीसो* का अवमूल्यन करे या अमेरिकी डालर को अपनी मुद्रा बनाये। साथ ही वित्त घाटे को कम करके 2001 तक शून्य प्रतिशत तक लाने का दबाव भी था। ये कदम न उठाये जाने पर इन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से मिलने वाले 2.9 अरब डालर का कर्ज न देने की धमकी दी जा रही थी। यह कर्ज भुगतान सन्तुलन के संकट से बचने के लिए जरूरी था।

वित्त घाटा कम करने की कोशिश के तहत ही राष्ट्रपति फर्नाण्डो ने बैंकों से नकदी निकालने की सीमा निर्धारित कर दी थी और सरकारी खर्चों में भारी कटौती (9.2 अरब डालर तक की) योजना बनायी थी। अगले बजट में सरकारी नौकरियों और तनख्वाहों में भारी कटौती की योजना थी। लोगों की पेंशन को भी अटकाने की योजना थी। यहां तक हर साल मिलने वाले क्रिसमस बोनस को भी सरकार बन्द करना चाहती थी। अर्थव्यवस्था पिछले पांच-छह सालों से दस प्रतिशत की दर से लुढ़कती जा रही थी और बेरोजगारी की दर बीस प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी। यही वे हालात थे जब लोगों का गुस्सा फूटा। इसलिए ध्वस्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए फिलहाल अर्जेण्टीना के शासकों को थोड़ी मोहलत दी जायेगी, लगाम थोड़ी ढीली की जायेगी और कर्जों की नयी किस्तें भी दी जायेंगी, लेकिन अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

अर्जेण्टीना के इस संकट के आइने में भारत की तस्वीर जो बहुतेरे पूंजीवादी अखबारों के कलमघसीट देख रहे हैं, वे ठीक ही देख रहे हैं। भारत भी अर्जेण्टीना की दिशा में ही लुढ़क रहा है। लेकिन ये बेचारे कलमघसीट जो हमारे शासकों को चेत जाने की सलाहें दे रहे हैं वे इतनी सी बात भी शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बुद्धिजीवियों की सलाहों से नहीं चला करती। बाजार और मुनाफे की व्यवस्था का तर्क हमारे देश के शासकों को भी अर्जेण्टीना के मुकाम तक घसीटे ले जा रहा है। यहां की जनता की धीरज का बांध भी चाहे थोड़ी देर से ही सही, अवश्य टूटेगा और अगर दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता..की सड़कों पर ब्यूनस आयरस के नजारे देखने को मिले तो इसमें किसी को अचरज नहीं होना चाहिए।

हमारे देश में भी अभी क्रान्तिकारी शक्तियां इस हालत में नहीं हैं कि जनाक्रोश को व्यवस्था पर कारगर प्रहार करने की दिशा में मोड़ सकें, लेकिन जनता अर्जेण्टीना की तरह इसका इंतजार भी नहीं करेगी। मुहाने पर जब दाब आखिरी सीमा तक पहुंचेगा तो यहां भी सड़कों पर लावा बहेगा ही।

हां, यह भी जरूर है कि अर्जेण्टीना की घटनाओं में भविष्य के जो संकेत छिपे हैं, उन्होंने हमारे देश की क्रान्तिकारी ताकतों को अपनी तैयारियों का एक ईमानदार जायजा लेने के लिए भी मजबूर किया है। क्या हम तूफानों की अगवानी के लिए सचमुच तैयार हैं।

नेपाल में आपातकाल और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ धरना

राजधानी दिल्ली में पिछले 4 जनवरी को कई लेखकों-पत्रकारों-बुद्धिजीवियों और जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने मण्डी हाउस पर नेपाल में आपातकाल और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ धरना दिया। इस धरने के समय जो पर्चा बांटा गया, उसे हम नीचे हूबहू प्रकाशित कर रहे हैं :

इस धरने का मकसद नेपाल में आतंकवाद के सफाये के नाम पर वहां की जनतांत्रिक शक्तियों पर हो रहे दमन तथा वहां चल रहे राजनीतिक आंदोलन के संदर्भ में भारत सरकार की भूमिका पर ध्यान आकर्षित करना है। नेपाल में संविधान सभा के गठन के प्रश्न पर माओवादियों के साथ वार्ता टूट जाने के बाद देउबा सरकार ने आपातकाल की घोषणा की और नेपाली जनता के जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला किया। मीडिया की विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि नेपाल नरेश के नियंत्रण वाली सेना के हाथों व्यापक पैमाने पर नागरिक मारे जा रहे हैं और उनका दमन किया जा रहा है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी जनतांत्रिक तत्वों के लिए भारत सरकार की भूमिका चिंता का विषय होना चाहिए। अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय हवलदार के रूप में काम करने की और साम्राज्यवाद के हितों को बढ़ावा देने की भारतीय शासक वर्ग की आकांक्षा को प्रबल कर दिया है। 11 सितम्बर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मीनारों पर हुए हमले से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाते हुए भाजपा के नेतृत्ववाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार भी हर आंदोलन पर 'आतंकवाद' का ठप्पा लगाने के हो-हल्ले में शामिल हो गयी है और इस माहौल का फायदा उठाते हुए हर तरह के दमन को वाजिब ठहरा रही है। यह सरकार न केवल नेपाल की देउबा सरकार को हथियारों की सप्लाई कर रही है बल्कि इसने भारत में रहने वाली नेपाली नागरिकों पर भी हमला बोल दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेपाल की आंतरिक स्थिति में भारत सरकार ने भी अपनी टांग अड़ा दी है। नेपाल में माओवादियों द्वारा संचालित 'जनयुद्ध' को नेपाली जनता का व्यापक समर्थन मिलता रहा है। वहां की सरकार भी इसे बखूबी समझती रही है कि यह देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की उपज है। यही वजह है कि माओवादियों को सरकार समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कभी भी आतंकवादी कहने का साहस नहीं जुटा सकीं – उन्हें हमेशा 'माओवादी विद्रोही' कहा जाता रहा है। लेकिन 11 सितम्बर के बाद भारत के विदेशमंत्री जसवंत सिंह जब अमेरिकी दौरे से लौटे तो उन्होंने अपनी ओर से नेपाल के माओवादियों को 'आतंकवादी' घोषित कर दिया। वह भी ऐसे समय जब खुद देउबा सरकार उन्हें एक राजनीतिक शक्ति मानते हुए वार्ता चला रही थी।

दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने न केवल आपातकाल की घोषणा का हार्दिक स्वागत किया, इसने फौरन हथियार और सैनिक साज-सामान नेपाल भेजे। इस तरह की अब पर्याप्त प्रामाणिक खबरें आ चुकी हैं कि भारत ने कुछ हेलीकाप्टर नेपाल को दिये और सिलीगुड़ी के रास्ते इसने सैनिक साज-सामान से भरे ग्यारह ट्रक नेपाल भेजे। पता चला है कि भारतीय सेना नेपाल के सैनिकों को प्रशिक्षण दे रही है और अगर अभी तक भारतीय सेना ने नेपाल के अंदर प्रवेश नहीं किया है तो महज इस डर से कि उसके ऐसा करते ही नेपाली जनता देशभक्ति की भावना से भरकर विद्रोह के लिए उठ खड़ी होगी और उसके विद्रोह का सीधा निशाना देउबा सरकार और वहां की राजशाही होगी।

नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और वहां जो कुछ भी घटित हो रहा है वह यहां की लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए चिंता का विषय है। भारत की तमाम लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी शक्तियां अपने देश में किसी भी स्तर पर बाहरी हस्तक्षेप का मुखर विरोध करती रही हैं लेकिन यह हमारी कैसी नीति है कि हम अपने देश में तो बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं लेकिन दूसरे देशों, खासतौर से पड़ोसी देशों में, हस्तक्षेप का मौका तलाशते रहते हैं। अगर हम ऐसा कोई बयान पढ़ते हैं जिससे लगता है कि अमेरिका हमारी राजनीति को निर्देशित कर रहा है तो हमारा राष्ट्रवाद बौखला उठता है लेकिन ऐसी ही प्रतिक्रिया जब नेपाली जनता करती है तो उसकी व्याख्या भारत विरोध के रूप में किया जाता है।

नेपाल का मसला हो या किसी भी देश का, यह उस देश की जनता को ही तय करने का अधिकार है कि वह अपने यहां किस तरह की सरकार चाहती है। भारत सरकार को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। नेपाल में फिलहाल जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में हमारी राय चाहे जो हो हम सभी जनतांत्रिक मित्रों का आह्वान करते हैं कि वे आगे आएं और भारत सरकार से मांग करें कि वह नेपाल में हस्तक्षेप करने से बाज आए और देउबा सरकार को हथियारों की सप्लाई न करे क्योंकि इसका इस्तेमाल वहां की सरकार अपनी जनता के ही खिलाफ कर रही है। नेपाली जनता को ही यह निर्णय लेना है कि उसे कैसी सरकार चाहिए।

लोकतांत्रिक मूल्यों में अपनी आस्था के अनुरूप हमारी यही मांग होनी चाहिए कि दोनों पक्षों में फिर से बातचीत शुरू हो। उनकी तीन प्रमुख मांगे हैं : गणराज्य की स्थापना, संविधान सभा का चुनाव और अंतरिम सरकार का गठन। हर मायने में ये लोकतांत्रिक मांगें हैं। भारत की राजनीतिक पार्टियों, लोकतंत्र समर्थकों, बुद्धिजीवियों और जनआंदोलनों से अपील है कि वे नेपाल में आपातकाल और वहां किसी भी स्तर के बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करें।

इस संदर्भ में हम देउबा सरकार से अपील करते हैं कि वह आपातकाल समाप्त करे और जनता के जनतांत्रिक अधिकारों का दमन बंद करे। राजनीतिक मसलों को हल करने के लिए उसे बातचीत फिर शुरू करनी चाहिए। इसका जवाब दमन नहीं होना चाहिए।

हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह

1. नेपाल सरकार को सैनिक साज-सामान की सप्लाई फौरन बंद करे और नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।

(पेज 9 पर जारी)

नारी सभा

मीना किश्वर कमाल : वर्जनाओं के अंधेरे में जो मशाल बन जलती रही

सपनों पर पहरे तो बिठाये जा सकते हैं लेकिन उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वर्जनाओं के अंधेरे चाहे जितने घने हों, वे आजादी के सपनों से रोशन आत्माओं को नहीं डुबा सकते। यह कल भी सच था, आज भी है और कल भी रहेगा। अफगानिस्तान के धार्मिक कठमुल्लों के "पाक" फरमानों का बर्बर राज भी इस सच का अपवाद नहीं बन सका। मीना किश्वर कमाल की समूची जिन्दगी इस सच की मशाल बनकर जलती रही और लाखों अफगानी औरतों की आत्माओं को अंधेरे में डूब जाने से बचाती रही।

मीना किश्वर कमाल-जिसे कठमुल्लों ने "नापाक" औरत, "बदकार" औरत और न जाने क्या-क्या कहा, और आखिर में उन्होंने उसकी आखिरी सांस भी छीन ली, लेकिन क्या वे उसके सपनों को छीन सके ? नहीं कतई नहीं। यह मुमकिन भी नहीं।

मीना के सपने आज भी जिंदा हैं– हजारों-लाखों अफगानी औरतों के दिलों में – आजादी, सम्मान और बराबरी के सपने। धार्मिक कठमुल्ले काले बुर्के से औरत के शरीर तो ढंक सकते हैं पर उसकी आत्मा की आवाज को दबाना-यह कतई मुमकिन नहीं।

20 वर्षीया मीना किश्वर, 1977 में, काबुल विश्वविद्यालय में तालीम हासिल कर रही थीं, जब स्त्रियों को समाज में बराबरी और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष का विचार उनके मन में पका। **अफगानी स्त्रियों को संगठित करने के लिए अफगानिस्तान की स्त्रियों का क्रांतिकारी संघ (रिवोल्यूशनरी एसोसियेशन आफ द वीमेन आफ अफगानिस्तान, 'रावा')** की स्थापना के लिए पहलकदमी ली। 'रावा' का शुरूआती मकसद उस समय की निरंकुशशाही के खिलाफ संघर्ष कर एक जनतांत्रिक सरकार की स्थापना करना था। हालांकि, 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे के बाद अफगानी स्त्रियों को जो अधिकार मिले थे वे पहले कभी नहीं मिले थे लेकिन इसके बावजूद 'रावा' ने अपने देश में विदेशी कब्जे का विरोध कर राष्ट्रों की सम्प्रभुता और अपना भविष्य खुद तय करने की जनता की आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का इजहार किया। मीना किश्वर 'रावा' के बैनर तले सोवियत कब्जे के विरोध में प्रदर्शन आदि जनकार्रवाईयां संगठित करने में जुट गयीं। लेकिन सोवियत साम्राज्यवादी हमलावरों के अफगानी पिट्ठुओं के दमन की कार्रवाईयों और '*जिहादियों*' के कहर से उनके लिए अफगानिस्तान में रहना सम्भव नहीं रहा और वह पाकिस्तान में शरण लेने पर मजबूर हुई। लेकिन यहां आकर भी न तो मीना किश्वर की गतिविधियां धर्मों न 'रावा' की।

मीना किश्वर ने पाकिस्तान में कायम अफगानी शरणार्थी शिविरों (सोवियत कब्जे के बाद अफगानिस्तान में शुरू हुए गृहयुद्ध के कारण पलायन कर आने वाले शरणार्थी) में स्त्रियों के बीच आम शिक्षा के प्रचार-प्रसार, स्त्रियों व बच्चों के बीच स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी शिक्षा के प्रचार-प्रसार व स्त्री अधिकारों की चेतना के लिए जनशिक्षण के काम में 'रावा' के संगठनात्मक कामों को संगठित करना शुरू किया। लेकिन यहां भी कठमुल्लों को उनकी कार्रवाईयों – स्त्रियों को पढ़ाना-लिखाना-नापाक और बदकारी भरी लगीं। नतीजतन, 1987 में क्वेटा स्थित उनके घर में परिवार के दो सदस्यों सहित उन्हें गोली मार दी गयी।

मैं कभी पीछे नहीं लौटूंगी

मैं वह औरत हूं जो जाग उठी है
अपने भस्म कर दिये गये बच्चों की राख से
मैं उठ खड़ी हुई हूं और
बन गयी हूं एक झंझावात
मैं उठ खड़ी हुई हूं
अपने भाइयों की रक्तधाराओं से
मेरे देश के आक्रोश ने मुझे अधिकार-समर्थ बनाया है
मेरे तबाह और भस्म कर दिये गांवों ने
दुश्मन के खिलाफ नफरत से भर दिया है,
मैं वह औरत हूं जो जाग उठी है,
मुझे अपनी राह मिल गयी है और कभी पीछे नहीं लौटूंगी
मैंने अज्ञानता के बन्द दरवाजों को खोल दिया है
मैंने सोने की हथकड़ियों को – अलविदा कह दिया है
ऐ मेरे देश के लोगों, मैं अब वह नहीं जो हुआ करती थी
मुझे अपनी राह मिल गयी है और कभी पीछे नहीं लौटूंगी।
मैंने देखा है नंगे पांव, मारे-मारे फिरते बेघर बच्चों को
मैंने मेंहदी रचे हाथों वाली दुल्हनों को देखा है मातमी लिबास में
मैंने जेल की ऊंची दीवारों को देखा है
निगलते हुए आजादी को अपने मरभुक्खे पेट में
मेरा पुनर्जन्म हुआ है आजादी और साहस के महाकाव्यों के बीच
मैंने सीखे हैं आजादी के तराने
आखिरी सांसों के बीच, लहू की लहरों और विजय के बीच
ऐ मेरे देश के लोगों, मेरे भाई
अब मुझे कमजोर और नाकारा न समझना
अपनी पूरी ताकत के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं
अपनी धरती की आजादी की राह पर।
मेरी आवाज घुलमिल गयी है हजारों जाग उठी औरतों के साथ
मेरी मुट्ठियां तनी हुई हैं हजारों अपने देश के लोगों के साथ
तुम्हारे साथ मैंने अपने देश की ओर कूच कर दिया है
तमाम मुसीबतों की, गुलामी की तमाम बेड़ियों को
तोड़ डालने के लिए
ऐ मेरे देश के लोगों, ऐ भाई
मैं वह नहीं जो हुआ करती थी
मैं वह औरत हूं जो जाग उठी है
मुझे अपनी राह मिल गयी है और मैं कभी पीछे नहीं लौटूंगी।

मीना किश्वर की हत्या के बाद भी पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान 'रावा' की गतिविधियां थमी नहीं। उनकी जलाई मशाल को हजारों दूसरी बहादुर औरतों ने आज भी जलाये रखा है। अफगानिस्तान में तालिबानों के आने के बाद जब औरतों को बुर्का पहनना अनिवार्य बना दिया गया, बच्चियों की पढ़ाई पर रोक लगा दी गयी और औरतों पर जुल्मों का नया अंधेरा दौर शुरू हुआ, तब भी 'रावा' की गतिविधियां थमी नहीं। 'रावा' की कार्यकर्ताओं ने बेहद सूझ-बूझ और बहादुरी के साथ भूमिगत रूप से अपनी कार्रवाईयां जारी रखीं। उन्होंने बुर्के को ढाल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया-अब बुर्के के भीतर किताबें छिपायी जा सकती थीं, कैमरे छिपाये जा सकते थे। अफगानिस्तान के भीतर भी और पाकिस्तान स्थित शरणार्थी शिविरों में भी-'रावा' की गतिविधियां बदस्तूर जारी रहीं।

आज तालिबानों के पतन और नयी सरकार बनने के बाद अफगानी औरतों की बदकिस्मती का खात्मा हो गया है, ऐसा मानना भूल होगी – यह 'रावा' कार्यकर्ताओं का स्पष्ट मानना है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों की नयी पिट्ठू सरकार में शामिल नार्दन एलाएंस वालों की काली करतूतों के बारे में भी अफगानी औरतें भूली नहीं हैं। पिछले दिनों भारत आयी एक 'रावा' कार्यकर्ता ने अखबार वालों को यह बताया था कि 'नार्दन एलाएंस वाले सूट-टाई पहनकर अपने पश्चिमी आकाओं को खुश कर सकते हैं, लेकिन हम अफगानी औरतों को इससे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। वे तालिबानों से भी गये-बीते हैं, जालिम हैं। पिछली बार जब उनकी हुकूमत थी तो 70 साल की बूढ़ी औरतों तक से एलाएंस के सैनिकों ने बलात्कार किया था।

जाहिर है अभी अफगानी औरतों की राहें आसान नहीं हुई हैं। उन्हें अपनी आजादी, बराबरी और सम्मान हासिल करने की लड़ाई के लम्बे सफर से गुजरना है। लेकिन, आज मीना किश्वर कमाल जैसी हजारों औरतें वहां पैदा हो चुकी हैं जो "जाग उठी हैं" और उन्हें अपनी राहें मिल गयी हैं, जो अब कभी पीछे नहीं लौटेंगी।

यहां दी जा रही मीना किश्वर कमाल की कविता में उभर रहा संकल्प आज हजारों-लाखों अफगानी औरतों का संकल्प बन चुका है।

-सम्पादक

पार्टी की बुनियादी समझदारी

(पेज 7 का शेष)

होने वाले प्रयासों में से एक भी सफल नहीं हुए ? वे असफल हुए क्योंकि हमारे पास अध्यक्ष माओ और केन्द्रीय कमेटी का दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व है, हमारे पास एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी कार्यदिशा है, और हम अवसरवाद और संशोधनवाद के विरूद्ध संघर्ष में सतत दृढ़ रहे हैं। वे असफल हुए क्योंकि पार्टी और जनता के दिल सामंजस्य में धड़कते हैं; क्योंकि पार्टी के सभी सदस्य एकता चाहते हैं और फूटों को खारिज करते हैं। इस तरह, जब अवसरवादी कार्यदिशाओं के नेता विभाजन को बढ़ावा देना चाहते थे, तो वे पूर्णत: असफल रहे और एक शर्मनाक अंत को प्राप्त हुए। इस बोझ से छुटकारा पाने के बाद हमारी पार्टी और अधिक शुद्ध, शक्तिशाली और हमेशा से ज्यादा ऐक्यबद्ध हुई। हमारी पार्टी निश्चित रूप से अवसरवाद और संशोधनवाद के विरूद्ध संघर्ष के जरिए बढ़ी है और फूटवाद के विरूद्ध संघर्ष से होकर ही एक एकता निर्मित हुई है।

(क्रमशः)

भूल सुधार

पाठक साथियों

पिछले अंक में 'पार्टी की बुनियादी समझदारी' में गलती से अध्याय का नाम 'पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा' छप गया था। अध्याय का नाम था 'पार्टी के तीन करने योग्य और तीन न करने योग्य' का सिद्धान्त। इस भूल के लिए हमें खेद है। ऐसी गलती न जाए, हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे।

-सम्पादक

नेपाल में आपातकाल और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ धरना

(पेज 8 का शेष)

2. भारत में रह रहे नेपाली नागरिकों का दमन बंद करे और माओवादी कहकर पकड़े गये युवकों को फौरन रिहा करे।

हम नेपाल सरकार से मांग करते हैं कि वह–

1. आपातकाल तुरन्त समाप्त करे और जनता के जनतांत्रिक अधिकारों का हनन बंद करे।

2. माओवादियों के साथ बातचीत फिर शुरू करे ताकि समस्या का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ़ा जा सके।

3. अपने देश में किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति न दे।

उत्तरांचल राज्य का एक वर्ष

(पेज 12 का शेष)

दौर भी चलता रहा। देहरादून में शिक्षकों के प्रदर्शन पर पुलिसिया ताण्डव, हरिद्वार के मंगलौर में पुलिस गोलीकाण्ड इसके चन्द उदाहरण हैं।

राज्य को एक वर्ष के भीतर दो मुख्यमंत्री मिले, 70 विधान सभा क्षेत्र बनें। अफसरों, मंत्रियों के नए लवाजमात खड़े हुए जिनते हवाई दौरों ने जनता की छाती पर मूंग दलने का काम किया। 2600 करोड़ रुपये के विरासत में मिले ऋणभार में 1200 करोड़ रुपये की और वृद्धि हुई। नयी परिसम्पतियों के नाम पर दिल्ली में 18 करोड़ रुपये का उत्तरांचल निवास नामक मंत्रियों का नया ऐशगाह खरीदा गया।

कुल मिलाकर भाजपा सरकार के पहले एक वर्ष में आम जनता की तबाही-बर्बादी का ही दौर चला। और ऐसा ही होना था। जब पूरे देश की ही आबोहवा आम जन विरोधी है। हर जगह निजीकरण-ठेकाकरण- छंटनी-तालाबन्दी का ही आलम व्याप्त है तो भला उत्तरांचल राज्य इससे कैसे अछूता रहता? और फिर नीतियों के मामले में सभी चुनावी पार्टियां तो एकमत ही हैं। उन्हें तो जनआकांक्षाओं से क्या लेना-देना। ये सभी तो देशी-विदेशी मुनाफाखोरों की ही हित से बिका है।

यहां की व्यापक मेहनतकश अवाम की समस्याओं का समाधान तो इन पूंजीपतियों की टुकड़खोरों से भीख में नहीं बल्कि लड़कर-छीनकर ही मिलेगा, देशभर के मेहनतकश अवाम के संघर्षों से अपने संघर्षों को जोड़कर मिलेगा। एक वर्ष के भाजपा शासन ने सारे भ्रमों को तोड़ दिया है तो क्यों न अपने सपनों को सच साबित करने के लिए कठिन, लम्बे जुझारू संघर्ष की तैयारी में जुट जाया जाए।

– मोहन लाल डोबरियाल

कविता

अपनी असुरक्षा से

•पाश

यदि देश की सुरक्षा यही होती है
कि बिना जमीर होना
जिन्दगी के लिए शर्त बन जाये
आंख की पुतली में 'हां' के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो
और मन बदकार पलों के सामने दण्डवत झुका रहे
तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है

•

गर देश का अमन ऐसा होता है
कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह
टूटता रहे अस्तित्व हमारा
और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे
कीमतों की बेशर्म हंसी
कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो तो हमें अमन से खतरा है।
गर देश की सुरक्षा ऐसी होती है
कि हर हड़ताल को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा
कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी
कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा
अक्ल, हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही चलती सींचेगी
मेहनत, राजमहलों के हक पर बुहारी ही बनेगी
तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है।

मुख में वाम बगल में छूरी कब पाऊं कब रेतूं मूड़ी

(बिगुल संवाददाता)

दिल्ली। संसदीय वामपंथियों के दुरंगेपन की हर नयी मिसाल पहले की मिसालों से इतनी अधिक घृणास्पद होती है कि उसे व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढे नहीं मिलते। जिस समय संसद से सड़कों तक आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटो) के खिलाफ सी.पी.आई.-सी.पी.आई. (एम.) के नेता गरज रहे थे, ठीक उसी समय पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार पोटो जैसा ही अध्यादेश जारी करने की कोशिशों में जुटी हुई थी। गनीमत है कि वाम मोर्चे की सरकार के घटक दलों के भीतर ही इस मुद्दे पर मतभेद हो जाने से यह अध्यादेश जारी न हो सका वर्ना पश्चिम बंगाल में आम जनता के राजकीय उत्पीड़न का एक नया दौर शुरू हो चुका होता।

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में बढ़ते संगठित अपराधों को रोकने के नाम पर इस अध्यादेश को लाना चाहती थी-संगठित अपराध निरोधक अध्यादेश (प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑर्डिनेंस, 'पोको')। लेकिन घटक दलों ने शिकायत की कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसे जारी करने के बारे में हमसे नहीं पूछा। सिर्फ कैबिनेट की बैठक में ही फैसला ले लिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर जनतांत्रिक तरीकों को ताक पर रखने और घटक दलों के साथ बड़भैयापन दिखाने का आरोप लगाते हुए इस अध्यादेश के खिलाफ बोलना शुरू किया। कहने की जरूरत नहीं कि घटक दलों को नाराजगी इस पर ज्यादा नहीं थी कि 'पोको' के जरिये राजकीय उत्पीड़न के एक नये औजार से सरकार लैस होना चाहती है, वरन इस पर ज्यादा थी कि मुख्यमंत्री उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यह वाम मोर्चे में शामिल घटक अन्य दलों का पुराना कष्ट है जो इस मुद्दे पर भी उभर आया।

'पोको' के प्रावधानों के बारे में कई पूंजीवादी अखबारों तक ने टिप्पणी की है कि कई मायनों में ये पोटो से भी खतरनाक हैं। इस अध्यादेश के तहत सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट पर न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकती है, चाहे वास्तव में अपराध हुआ हो या नहीं। संगठित अपराध की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसके दायरे में संगठित जनान्दोलनों को भी लपेटा जा सकता है। वैसे अध्यादेश में सिर्फ अपहरण को संगठित अपराध के एक उदाहरण के रूप में दिखाया गया है।

इतना ही नहीं, 'पोको' के तहत किसी भी वकील को सरकारी वकील माना जा सकता है और इसके तहत गठित विशेष न्यायालयों को सत्र न्यायालय का दर्जा दिया जा सकता है। 'पोटो' की ही तरह 'पोको' में भी यह प्रावधान है कि सुनवाई बन्द कमरे में भी की जा सकती है। सुनवाई के दौरान ही अभियुक्त की सम्पत्ति की कुर्की का आदेश भी जारी किया जा सकता है। अगर कोई अभियुक्त इस अध्यादेश के जारी होने के पहले ही किसी अपराध में नामजद हो चुका हो तो उस पर भी 'पोको' ठोंका जा सकता है।

ऐसे हैं उस खतरनाक अध्यादेश के प्रावधान जो वाम मोर्चे के घटक दलों की खींचतान के चलते फिलहाल जारी नहीं हो सका है, लेकिन मुख्यमंत्री भट्टाचार्य ने अभी हिम्मत नहीं हारी है और बस माकूल समय की ताक में हैं।

दमनकारी कानूनों को लागू करने के मामले में देशी सरकारें अंग्रेजी हुकूमत को मीलों पीछे छोड़ चुकी हैं। यह एक इतिहास का तथ्य है कि भगत सिंह पर जब राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था तो अंग्रेज सरकार ने बन्द कमरे में सुनवाई के लिए विधायिका से इजाजत मांगी थी, लेकिन उसे यह नहीं मिली थी। जबकि 'पोटो' के मामले में सभी संसदीय विपक्षी दलों ने जो विरोध किया उसमें इस मुद्दे की चर्चा तक नहीं की।

यह अब पूरी तरह साफ हो चुका है कि सिर्फ आर्थिक नीतियों के सवाल पर ही नहीं वरन् सभी महत्वपूर्ण नीतिगत सवालों पर संसदीय वामपंथी पार्टियों और अन्य चुनावी विपक्षी दलों के बीच पूरी एका है। जनता के दमन के सवाल पर भी पश्चिम बंगाल की सरकार केन्द्र या अन्य राज्य सरकारों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है।

इस समय पश्चिम बंगाल में जेलों में 1000 से अधिक राजनीतिक बन्दी हैं। इनमें 686 कामतापुर पीपुल्स पार्टी के हैं जो उत्तरी बंगाल को अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। बाकी नक्सलवादी कहे जाने वाले संगठनों के कार्यकर्ता हैं।

मिदनापुर जिले के सालबोनी कस्बे में पिछले मार्च महीने से दीपा सरकार और काकोली माण्डी नाम की दो लड़कियां राजद्रोह के आरोप में जेल में बन्द हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा के समय 'बिल क्लिंटन वापस जाओ' का नारा लगाया था। जबकि सी.पी.आई.एम. ने खुद क्लिंटन के भारत दौरे पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किये थे।

ऐसी हैं हमारे संसदीय वामपंथियों की दुरंगी चालें। इसे कहते हैं 'मुख में वाम बगल में छूरी, कब पाऊं, कब रेतूं मूड़ी।'

देशी-विदेशी लुटेरों के नापाक इरादों को ध्वस्त करो!

श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन और ज्ञापन प्रधानमंत्री को

(बिगुल संवाददाता)

रुद्रपुर, 18 जनवरी 'संयुक्त मज़दूर संघर्ष मोर्चा' के नेतृत्व में लचीलेपन के नाम पर श्रम कानूनों में प्रस्तावित फेरबदल को रोकने, ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधनों को वापस लेने, ठेकाकरण को खत्म करने व मौजूदा श्रम कानूनों को न्यायसंगत ढंग से लागू करवाने के संदर्भ में जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर के मार्फत लगभग 4000 हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन प्रधानमंत्री के पास भेजा गया। ज्ञापन की प्रतियां केन्द्रीय श्रम मंत्री, श्रम आयोग के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल के मुख्यमंत्रियों व श्रमायुक्तों के पास भी भेजा गया।

पूर्व निर्धारित जुलूस व प्रदर्शन के कार्यक्रम पर जिला प्रशासन द्वारा अचानक रोक लगा देने व बारिश के बावजूद स्थानीय गांधी पार्क में सभा हुई और जिलाधिकारी कार्यालय पर मौन प्रदर्शन हुआ। जुलूस-प्रदर्शन-सभा पर इस रोक के कारण वहां मौजूद सैकड़ों मज़दूरों-कर्मचारियों-महिलाओं में आक्रोश व्याप्त था।

सभा को सम्बोधित करते हुए **श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन** के महामंत्री **किशन लाल** ने कहा कि जनवादी तरीके से निकाल जा रहे जुलूस पर प्रशासन द्वारा लगा प्रतिबन्ध बढ़ती निरंकुशता का द्योतक है। उन्होंने कहा कि आज एक तरफ तो सरकार लगातार

(पेज 12 पर जारी)

लेनिन के साथ दस महीने

(पेज 11 का शेष)

"आप जानना चाहते हैं विश्व का भविष्य क्या होगा?" लेनिन ने भेंटकर्ता का प्रश्न दोहराते हुए कहा। "मैं कोई पैगम्बर नहीं हूं कि विश्व का भविष्य बताऊं। किन्तु यह बात निश्चित है कि पूंजीवादी राज्य, इंगलैण्ड जिसका नमूना है, खत्म हो रहा है। पुरानी सामाजिक व्यवस्था नष्ट होने वाली है। युद्ध के फलस्वरूप पैदा होने वाली आर्थिक परिस्थितियां नूतन सामाजिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हैं। मानव जाति का विकासक्रम अनिवार्यतः समाजवाद की ओर बढ़ रहा है।"

"कुछ वर्ष पूर्व किसे यह विश्वास हो सकता था कि अमरीका में रेलवे का राष्ट्रीयकरण संभव है? फिर हमने अमरीकी सरकार को पूरे राज्य के हित में इस्तेमाल करने के लिए सारा खाद्यान्न भी खरीदते देखा है। राज्य के खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है, उससे यह विकासक्रम अवरुद्ध नहीं हुआ है। यह बात ठीक है कि लुटियों को दूर करने के ख्याल से नियंत्रण के नये उपाय सोचना और ढूंढना आवश्यक है। परन्तु राज्य को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न होने से रोकने का कोई भी प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा। जो अनिवार्य है, वह होकर रहेगा और अपनी शक्ति से ही होगा। अंग्रेजों की कहावत है, 'पकवान कैसा है, खाने पर ही इसका पता चलता है'। आप समाजवादी पकवान के सम्बन्ध में बेशक कुछ भी क्यों न कहें, लेकिन सभी राष्ट्र इसे खा रहे हैं। और अधिकाधिक खायेंगे।"

"कुल मिलाकर, अनुभव से यह सिद्ध होता प्रतीत हो रहा है कि प्रत्येक मानव-समूह अपने-अपने विशिष्ट मार्ग से समाजवाद की ओर अग्रसर है। उसके अनेक संक्रमणकालीन स्वरूप और प्रकार होंगे, परन्तु वे सभी उस क्रान्ति के विभिन्न दौर हैं, जो एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती है। यदि फ्रांस अथवा जर्मनी में समाजवादी शासन कायम हो जाय, तो रूस की अपेक्षा वहां उसे कायम रखना अधिक आसान होगा। इसका कारण यह है कि पश्चिम में समाजवाद को कायम रखने के लिए ढांचा, संगठन और सभी प्रकार की बौद्धिक सहायक शक्तियां एवं सामग्रियां सुलभ हैं, जो रूस में नहीं हैं।"

(क्रमशः)

लेनिन के साथ दस महीने

एल्बर्ट रीस विलियम्स उन पांच अमेरिकी जनों में से एक थे जो अक्टूबर क्रान्ति के तूफानी दिनों के साक्षी थे। वे 1917 के बसंत में रूस पहुंचे। उस समय से लेकर अक्टूबर क्रान्ति तक, वे तूफान के साक्षी ही नहीं बल्कि भागीदार भी रहे। इस दौरान उन्होंने व्यापक जनता के शौर्य एवं सृजनशीलता के साथ ही बोल्शेविक योद्धाओं के जीवन को भी निकट से देखा। लम्बे समय तक वे लेनिन के साथ-साथ रहे। क्रान्ति के बाद जुलाई, 1918 तक उन्होंने दुनिया भर की प्रतिक्रियावादी ताकतों से जूझती पहली सर्वहारा सत्ता के जीवन-संघर्ष को निकट से देखा।

स्वदेश लौटकर रीस विलियम्स ने दो किताबें लिखीं – 'लेनिन: व्यक्ति और उनके कार्य' तथा 'रूसी क्रान्ति के दौरान'। ये दोनों पुस्तकें एक जिल्द में 'अक्टूबर क्रान्ति और लेनिन' नाम से राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ से प्रकाशित हो चुकी हैं।

लेनिन के जन्मदिवस के अवसर पर हम रीस विलियम्स की पूर्वोक्त पहली पुस्तक का एक हिस्सा 'बिगुल' के पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

– *संपादक*

12. संकट के समय कार्य में संलग्न लेनिन

जर्मन फौजों के बढ़ाव के साथ विदेशी भागने लगे। रूसियों को कुछ हैरानी हुई, क्योंकि जो लोग बड़े जोर-शोर से "जर्मनों को मार डालो!" का नारा लगा रहे थे, वे ही जब जर्मन गोली की मार के भीतर आ गये, तो सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। उस समय वहां से भाग जाने वालों में शामिल होना ही अच्छा होता, मगर मैं तो बख़्तरबन्द गाड़ी पर प्रतिज्ञा कर चुका था। इसलिए मैं लाल फौज में भर्ती होने चला गया। वामपंथी बोल्शेविक बुखारिन ने इस बात पर जोर दिया कि मैं लेनिन से मिलूं।

लेनिन ने कहा, "बधाई! मैं आपके निर्णय से बहुत खुश हूं। इस समय हमारी स्थिति बहुत ख़राब प्रतीत होती है। पुरानी फौज लड़ेगी नहीं, नयी फौज अभी मुख्यत: कागज़ पर ही है। बिना प्रतिरोध के अभी-अभी प्स्कोव शत्रु के हाथ में चला गया है। यह अपराध है। सोवियत के अध्यक्ष को गोली मार देनी चाहिए। हमारे मज़दूरों में बलिदान की भावना और वीरता तो बहुत है। परन्तु न तो उन्हें फौजी प्रशिक्षण दिया गया और न उनमें अनुशासन है।"

इस प्रकार क़रीब बीस संक्षिप्त वाक्यों में उन्होंने परिस्थिति का सिंहावलोकन प्रस्तुत करते हुए अंत में कहा, "मेरी समझ में यही बात आती है कि शान्ति-संधि हो जानी चाहिए। फिर भी संभवत: सोवियत युद्ध जारी रखने के पक्ष में हो। पर ख़ैर, क्रान्तिकारी फौज में शामिल होने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। रूसी भाषा सीखने के लिए आपने जो संघर्ष किया, उससे आपको जर्मनों से लड़ने का अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो गया होगा।" एक क्षण गंभीर विचार करने के बाद उन्होंने पुन: कहा:

"केवल एक विदेशी तो लड़ाई में बहुत कुछ नहीं कर सकता। शायद आप दूसरों को भी लड़ने के लिए तैयार करेंगे"

मैंने कहा कि मैं एक टुकड़ी गठित करने का प्रयास करूंगा।

लेनिन प्रत्यक्ष कर्मण्यतावादी थे। किसी अच्छी योजना के दिमाग़ में आ जाने पर वे उसे तत्काल कार्यान्वित करने की दिशा में अग्रसर हो जाते। उन्होंने सोवियत सेनापति क्रिलेन्को को टेलीफोन किया। फोन पर उसे न पाकर उन्होंने क़लम उठाई और उसके नाम एक परचा लिखा।

हम लोगों ने रात तक अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का गठन कर लिया और सभी विदेशियों से इस सैन्य दल में शामिल होने की अपील जारी की। परन्तु लेनिन ने इस बात को यहीं खत्म नहीं होने दिया। वे इस सैन्य दल का शानदार शुभारम्भ कर देने मात्र से ही संतुष्ट नहीं हो गये। वे बड़ी दृढ़ता से इस कार्य को आगे बढ़ाते और इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करते रहे। उन्होंने 'प्रावदा' कार्यालय को दो बार फोन किया और इस अपील को रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित करने की हिदायत दी। उसके बाद उन्होंने तार द्वारा देश भर में इसकी सूचना पहुंचा दी। इस प्रकार युद्ध का और विशेष रूप से उन लोगों का विरोध करते हुए जो क्रान्तिकारी नारों के मद से युद्धोन्मादी हो रहे थे, लेनिन इसकी तैयारी में सारी शक्तियों को जुटा रहे थे।

उन्होंने पीटर-पाल किले में बन्द कुछ क्रान्ति-विरोधी जनरलों को लाने के लिए मोटर-गाड़ी भेजी।

जब जनरल उनके कार्यालय में आ गये, तो लेनिन ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा, "सज्जनो, मैंने दक्ष सलाह के लिए आपको यहां बुलवाया है। पेत्रोग्राद ख़तरे में है। क्या आप इसकी रक्षा के लिए फौजी कार्रवाई निर्धारित करने की कृपा करेंगे?"

वे तैयार हो गये।

लेनिन ने अपनी बात जारी रखते हुए नक्शे पर उस स्थान की ओर संकेत किया, जहां लाल फौज, सैन्य शस्त्रास्त्र एवं लड़ाई के समान और रिजर्व सेना थी। "और यह रही शत्रुओं की फौजों की संख्या एवं स्थिति के सम्बन्ध में ताजी सूचनाएं। यदि जनरलों को कुछ और सूचनाओं की ज़रूरत होगी, तो उन्हें प्राप्त हो जायेंगी।"

जनरलों ने रणनीति के निर्धारण का काम शुरू किया और शाम तक अपने विचार-विमर्श का निष्कर्ष लेनिन के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया।

जनरलों ने उनका कृपापात्र बनते हुए कहा, "क्या प्रधानमंत्री मेहरबानी करके अब हमारे लिए अधिक आरामदेह क्वार्टरों की व्यवस्था कर देंगे?"

"मुझे बहुत खेद है," लेनिन ने उत्तर दिया, "किसी और समय ऐसी व्यवस्था हो सकती है, परन्तु इस समय नहीं। सज्जनो, हो सकता है कि आपके क्वार्टर आरामदेह न हों, परन्तु वे बहुत सुरक्षित तो हैं ही। "

जनरलों को पुन: पीटर-पाल किले में भेज दिया गया।

13. भविष्यद्रष्टा और राज्यदर्शी लेनिन

यह स्पष्ट है कि एक राज्यदर्शी एवं भविष्यद्रष्टा के रूप में लेनिन की शक्ति का स्रोत कोई रहस्यूलक अन्तर्ज्ञान अथवा भविष्यवाणी की क्षमता नहीं, बल्कि किसी मामले में सभी तथ्यों को जमा कर लेने और उन्हें उपयोग में लाने की योग्यता थी। उन्होंने अपनी कृति 'रूस में पूंजीवाद का विकास' में इसी योग्यता का परिचय दिया। लेनिन ने यह दावा करके कि रूसी किसानों का आधा भाग सर्वहारा हो गया है और कुछ भूमि के स्वामी होने के बावजूद वस्तुत: वे उजरती मज़दूर हैं, अपने युग के आर्थिक चिन्तन को चुनौती दी। यह दावा बहुत साहसपूर्ण था, किन्तु बाद के वर्षों की छानबीन ने इसकी सत्यता प्रमाणित कर दी। लेनिन ने केवल इसका अनुमान नहीं लगाया था। उन्होंने जेम्सत्वो (स्थानीय परिषदों) और अन्य क्षेत्रों में जमा किये गये व्यापक आंकड़ों के आधार पर यह सुनिश्चित मत प्रकट किया था।

एक दिन पेटेर्स के साथ बातचीत करते हुए लेनिन की प्रतिष्ठा की बुनियाद की चर्चा चल पड़ी। तब उन्होंने कहा, "पार्टी की बंद बैठकों में लेनिन अक्सर स्थिति के अपने विश्लेषण के आधार पर कुछ सुझाव प्रस्तुत करते। हम उन्हें नामंजूर कर देते। बाद में लेनिन सही और हम ग़लत सिद्ध होते।" कार्यनीति के प्रश्न पर लेनिन और पार्टी के अन्य सदस्यों के बीच वैचारिक धरातल पर जोरों की बहसें हुईं और बाद की घटनाओं ने सामान्य रूप से यह चरितार्थ कर दिया कि उनके निर्णय सही थे।

कामेनेव और जिनोव्येव जैसे प्रमुख बोल्शेविक नेताओं का मत था कि प्रस्तुत अक्तूबर क्रान्ति में सफल होना असंभव है। लेनिन ने कहा कि विफल होना असंभव है। लेनिन सही थे। बोल्शेविकों ने जरा-सी चेष्टा की और सत्ता उन्हें प्राप्त हो गई। जिस आसानी से यह उद्देश्य पूरा हुआ, उससे बोल्शेविकों को ही सबसे अधिक आश्चर्य हुआ।

अन्य बोल्शेविक नेताओं ने यह विचार प्रकट किया कि हो सकता है कि वे सत्ता प्राप्त कर लें, मगर अधिक दिनों तक वे उसे सम्भाले नहीं रख सकेंगे। लेनिन ने कहा कि प्रतिदिन बोल्शेविकों को नई शक्ति प्राप्त होती जायेगी लेनिन का विचार सही था। सोवियत रूस को सभी ओर से घेरने वाले शत्रुओं से दो साल तक लड़ते हुए सोवियत फौजें अब हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही थीं।

लोत्सकी जर्मनों के साथ अपनी टाल-मटोल की नीति का अनुसरण कर रहा था, उन्हें जाल में फंसाना चाहता था, मगर शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहा था। लेनिन ने कहा, "उनके साथ दांव-पेंच का यह खेल मत खेलो। संधिपत्र के पहले ही मसौदे पर, वह चाहे जितना बुरा हो, हस्ताक्षर कर देना चाहिए अन्यथा हमें इससे भी बुरे संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे।" लेनिन पुन: सही थे। रूसियों को ब्रेस्त-लितोव्स्क में विवश होकर "लुटेरों की", "दस्युओं की" शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े।

1918 के वसंत में जबकि सारा विश्व जर्मन क्रान्ति के विचार का मजाक उड़ा रहा था और कैसर की सेना फ्रांस में मित्र राष्ट्रों की रक्षा-पंक्ति को ध्वस्त कर रही थी, लेनिन ने मुझसे बातचीत करते हुए कहा, "साल के भीतर ही कैसर का पतन हो जायेगा। यह बिल्कुल निश्चित है।" 9 महीने बाद अपनी ही जनता से भागकर कैसर शरणार्थी बन गया था।

लेनिन ने 1918 के अप्रैल में मुझसे कहा, "यदि आप अमरीका वापस जाने का इरादा रखते हैं, तो शीघ्र रवाना हो जाइये अन्यथा अमरीकी फौजों से साइबेरिया में आपकी भेंट होगी।" यह हैरत में डालने वाली बात थी, क्योंकि उस समय मास्को में हम यह विश्वास करते थे कि अमरीका नये रूस के प्रति अधिकतम सद्भावना रखता है। मैंने लेनिन की बात का विरोध करते हुए कहा, "यह असंभव है। यदि यह बात होती, तो रेमाण्ड रोबिन्स यह क्यों सोचते कि सोवियत रूस को मान्यता प्रदान करने की भी संभावना है।"

लेनिन ने कहा, "हां, लेकिन रोबिन्स अमेरीका के उदारतावादी पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अमरीका की नीति का निर्धारण नहीं करते। महाजनी पूंजी वहां की नीति निर्धारित करती है। और वह साइबेरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। वह ऐसा नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए अमरीकी सैनिकों को यहां भेजेगी।" यह दृष्टिकोण मुझे बड़ा अटपटा लगा। परन्तु बाद में 29 जून 1918 को मैंने अपनी आंखों से अमरीकी नौसैनिकों को व्लादीवोस्तोक मे उतरते देखा। इसी समय जारशाही की पोषक फौजों के साथ ही चेक, ब्रिटिश, जापानी और मित्र राष्ट्रों की अन्य फौजों ने सोवियत जनतन्त्र के झंडे को उतारकर वहां पुराने जारशाही शासन के झंडे को फहरा दिया था।

लेनिन की भविष्यवाणी अक्सर भावी घटनाओं से इतनी सही सिद्ध होती रही कि भविष्य के बारे में उनके विचार बहुत ही दिलचस्पी पैदा करते थे। 1919 के अप्रैल में पेरिस के 'टेम्पस' में नोदो का जो प्रसिद्ध इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था, मैं यहां उसका सारांश दे रहा हूं।

(पेज 10 पर जारी)

अफ़गानिस्तान : ध्वंस के बाद अब 'पुनर्निर्माण' की बिसात पर साम्राज्यवादी चालें

अफ़गानिस्तान में अल कायदा-तालिबान नेटवर्क को तबाह करने के नाम पर समूची अफगानी धरती को रक्त-राख और आग के जलजले में बदल देने के बाद अब अमेरिकी साम्राज्यवादी "पुनर्निर्माण" की बिसात पर अपनी चालें शुरू कर चुके हैं। ठीक वैसे ही, जैसे दूसरे विश्वयुद्ध के समय हिरोशिमा-नागासाकी पर परमाणु बम का विनाश बरसाने के बाद 'मार्शल योजना' के तहत जापान का 'पुनर्निर्माण' किया गया था।

'अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद' के खिलाफ अमेरिका के 'शाश्वत न्याय के लिए' युद्ध में तालिबानी-अलकायदा गठजोड़ की तबाही तो ऊपरी सच्चाई है। तबाह तो हुई है अफगानी धरती और वहां की आम जनता। लेकिन मौत के सौदागर तो इस तबाही के जश्न की तैयारियों में जुटे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में जनवरी माह के तीसरे हफ्ते में अमेरिका की अगुवाई में सारे साम्राज्यवादी लुटेरे इकट्ठे होकर इस पर विचार-विमर्श करने वाले हैं कि यह जश्न-ए-तबाही कैसे मनायी जाये, कौन कितना खर्च करेगा, किस-किस चीज की जिम्मेदारी उठायेगा।

यह सब होगा 'पुनर्निर्माण' के नाम पर। सभी साम्राज्यवादी लुटेरों का यह साझा संकट है कि उनके पास जो पूंजी का अम्बार इकट्ठा है, उसे कहां लगायें। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और तबाही ने उनको पूंजी के अजीर्ण से मची मरोड़ को थोड़ी राहत दी है। दरअसल अफगानिस्तान में फिलहाल तबाही का जो मंजर है उसने सब कुछ नये सिरे से खड़ा करने के लिए भारी पूंजीनिवेश के रास्ते खोल दिये हैं। और हामिद करजई की कठपुतली सरकार इसकी अगवानी करने के लिए तैयार बैठी है।

अफगानिस्तान में स्कूल-कालेज, अस्पताल, सड़कों से लेकर समूचा बुनियादी ढांचा फिर से खड़ा करने के साथ ही तमाम उपभोक्ता मालों, बैंक, बीमा, सट्टा बाजार-सब कुछ के लिए मैदान चौरस हो चुका है। मैदान के किस हिस्से पर कौन कब्जा करे, इसके लिए अब डाकुओं के बीच मारामारी शुरू हो चुकी है।

यह मारामारी सिर्फ अफगानिस्तान के 'पुनर्निर्माण' के लिए नहीं हो रही। समूचे कैस्पियन सागर के क्षेत्रों में तेल के अनछुए भण्डारों और दक्षिण एशिया के तेल बाजारों पर कब्जा करने के मुद्दे पर भी है। फिलहाल इतना तो तय है कि इस युद्ध के बाद सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका की झोली में ही गिरेगा। इसकी और अधिक पुख्ता गारण्टी के लिए वह अब भी अफगानिस्तान में अल कायदा के बचे-खुचे ठिकानों को तबाह करने और लादेन-उमर की तलाश के नाम पर बमबारी जारी रखे हुए है और इसमें भारी संख्या में आम अफगानी नागरिकों का मारा जाना भी जारी है।

अफगानिस्तान के रूप में अमेरिकी साम्राज्यवाद को एक खूबसूरत फौजी चौकी हाथ लग जाने के बाद अब मध्य एशिया ही नहीं समूचे दक्षिण एशिया में भी उसकी थानेदारी ज्यादा आसान हो गयी है और आर्थिक राजनीतिक मंसूबों को भी ज्यादा आसानी से पूरा करने की उम्मीद बन गयी है।

यह है अफगानिस्तान के 'पुनर्निर्माण' के नाम पर हो रही कवायदों का असली मर्म। इसलिए मेहनतकशों को दुनिया मेहनतकशों की नजरों से देखने की जरूरत है। साम्राज्यवादी-पूंजीवादी मीडिया और शासक वर्गों की नजरों से नहीं जो दुनिया की जनता पर अन्याय का अविराम अभियान जारी रखने के लिए आतंकवाद का हौव्वा खड़ाकर अपने असली मंसूबों को छिपाने की लगातार कोशिश में जुटा हुआ है जिसकी नजर में अन्यायी सत्ताओं के खिलाफ जनता का हर विद्रोह आतंकवाद है।

उत्तरांचल राज्य का एक वर्ष:

भ्रम की सारी दीवारें टूट गयीं!

लोगों ने कुर्बानियां दीं, कष्ट झेले इस उम्मीद के साथ कि शायद नया राज्य बने तो गरीबी, बदहाली, तंगहाली की जिन्दगी से कुछ छुटकारा मिले। लेकिन एक वर्ष पूर्व राज्य गठन के साथ ही उम्मीदों पर तुषारापात हो गया था। लोगों की भावनाएं उत्तराखण्ड से जुड़ी थीं परन्तु मिला उत्तरांचल। राजधानी बनी देहरादून। फिर धीरे-धीरे एक वर्ष का समय गुजर गया।

पिछले एक वर्ष के दौरान जहां एक तरफ लाल-नीली बत्तियों वाली गाड़ियों की भरमार हो गयी, नेताओं, मॉत्रियों, अफसरों की धमाचौकड़ी बढ़ी है। वहीं शराब व-भूमाफियाओं और धन्नासेठों की जेबें गरम होती गयीं।

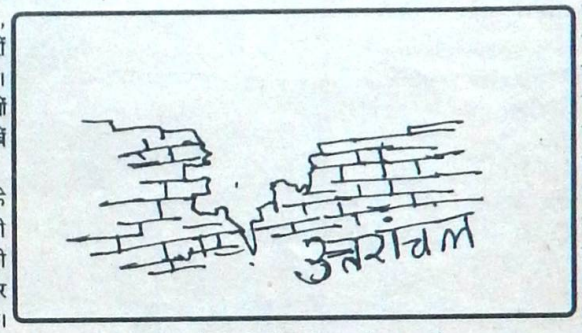

इस एक वर्ष के दौरान पहले से ही बदहाल यहां की मेहनतकश आबादी और ज्यादा बदहाल हुई है। राज्य के सबसे बड़े रोजगार शिक्षा क्षेत्र में नौकरी की जगह 2600 शिक्षा मित्र और 2000 शिक्षा बन्धु (ग्यारह महीने के अनुबन्ध पर) रखे गये हैं, जिनकी हालत ठेका मजदूरों जैसी है। उच्च शिक्षा के नाम पर खुले इन बेहिसाब डिग्री कालेजों में पुराने कालेजों से ही वहां प्राचार्य, एकाध प्रवक्ता व कर्मचारी भेज दिए गये। नियमित नियुक्तियों का केवल झुनझुना बजता रहा।

कहने के लिए तो पन्तनगर विश्वविद्यालय में 70 फीसदी सीटें उत्तरांचल के लिए आरक्षित हैं, लेकिन किनके बच्चे वहां पढ़ सकेंगे? लगातार बढ़ती फीसें, हास्टलों के भारी होते जा रहे खर्च का क्या उत्तरांचल का ईमानदार मध्यम वर्ग भी वहन कर सकेगा? वैसे तो यहां हास्टलों में चलने वाले मेस का ठेकाकरण शुरू हो चुका है और मेस कर्मचारी बाहर धकियाए जा रहे हैं।

काशीपुर का सलोरा, हल्दूचौड़ का नैना सेमी कण्डक्टर इसी दौर में पलायन किए है। सार्वजनिक क्षेत्र यहां का सबसे बड़ा दवा कारखाना ऋषिकेश स्थित आई. डी.पी.एल. बन्द हो चुका है और रानीबाग स्थित एच.एम.टी. बन्दी के कगार पर है। भीमताल और भुवाली का औद्योगिक क्षेत्र वीरान हो चुका है। वहां के मजदूर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। प्रदेश के ज्यादातर चीनी मिलों की स्थिति खस्ताहाल है। कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगमों के कारखाने दम तोड़ रहे हैं। तमाम राइस मिलें, तेल मिलें व प्लाइवुड कारखाने यहां से पलायन की राह पर हैं। विद्युत परियोजनाएं निजी हाथों में सौंपी जा रही है। एक पूरे इलाके टिहरी से पूरी आबादी को उसकी जगह-जमीन, सभ्यता-संस्कृति से उजाड़ कर बने टिहरी बांध से जुड़ी विद्युत परियोजना तक मुनाफाखोरों के हवाले करने की तैयारी हो चुकी है। फड़-खोखों और फुटपाथ पर रहने वाली गरीब आबादी को उजाड़ा जा रहा है।

दरअसल नये राज्य के औपचारिक गठन से पूर्व ही राज्य के पहले प्रमुख सचिव की इस पहली घोषणा ने ही कि राज्य के नये सचिवालय में सफाई, सुरक्षा, बागवानी आदि के काम अनुबन्ध के आधार पर (ठेका प्रथा) कराए जाएंगे, विकास की दिशा तय कर दी थी। बाद के दिनों में शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक में ठेका या अनुबन्ध प्रणाली लागू होती रही।

दूसरी तरफ, पूरे वर्ष भर जगह-जगह आन्दोलनों और उसके दमन का दौर चलता रहा। छात्रों का फीस वृद्धि के खिलाफ आन्दोलन, कर्मचारियों-शिक्षकों-चिकित्सा कर्मियों की अपनी-अपनी जायज मांगों को लेकर आन्दोलन, कारखानों की शिफ्टिंग के खिलाफ मजदूरों के आन्दोलन, नागरिकता के प्रश्न पर तराई की बंगाली आबादी के आन्दोलन लगातार चलते रहे हैं। साथ ही साथ पुलिसिया दमन का

(पेज 9 से जारी)

श्रम क़ानूनों में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन और ज्ञापन प्रधानमंत्री को

(पृष्ठ 10 का शेष)

श्रमिक विरोधी नीतियां लागू कर रही है; छंटनी-तालाबन्दी कर रही है और दूसरी तरफ इसके विरोध में उठने वाले हर आवाज़ को दबा देना चाहती है। **उत्तरांचल ऊर्जा कामगार संगठन** के **एम.एन. उप्रेती** ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित श्रम क़ानून रोजगार सुरक्षा की गारण्टी को खत्म करने वाला और ठेकाकरण को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन एक्ट में जो संशोधन हुए हैं वो पहले से ही सीमित जनवादी अधिकारों को और ज़्यादा कुचलने वाले हैं। इसका विरोध सभी मज़दूरों-कर्मचारियों को मिलकर करना होगा। **आनन्द निशिकावा इम्प्लाइज यूनियन** के अध्यक्ष **प्रयाग भट्ट** ने कहा कि मौजूदा श्रम क़ानून ही अधिकतर कारखानों में लागू नहीं है। 90 प्रतिशत कारखानों में प्रबन्धकों का अपना क़ानून चलता है। सरकार न्यायसंगत ढंग से वर्तमान क़ानूनों को लागू करवाने की जगह मालिकों के और ज़्यादा मनमुआफिक घातक क़ानून श्रमिकों पर थोप रही है जिसका संगठित विरोध जरूरी है।

बिगुल मज़दूर दस्ता के **मुकुल** ने कहा कि अमेरिकी तर्ज पर 'हायर एण्ड फायर' यानी जब चाहो रखो जब चाहो बाहर करो का क़ानूनी हथकण्डा पूरी दुनिया के पूंजीवादी लुटेरों की चाहत बन गयी है। हवा का रुख बदलने के साथ ही न्यायपालिका ने भी रुख बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भूमण्डलीकरण के इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी कुछ हाथों में सिमटती जा रही है। बड़े बहुराष्ट्रीय मगरमच्छ छोटी मछलियों को निगलते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी बहुत तेज गति से बढ़ रही है, अमीरी-ग़रीबी की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है और सरकारी दमन का पाटा तेजी से चलने लगा है। उन्होंने मेहनतकश अवाम का आह्वान करते हुए कहा कि लड़ाई आर-पार की है और मज़दूर वर्ग को सड़कों पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

मज़दूर किसान संघर्ष समिति के **अजित** ने कहा कि इसदेश के सत्ताधारी अपने देशी-विदेशी आकाओं के निर्देश पर मज़दूरों-किसानों पर तरह-तरह से हमले कर रहे हैं जिसके खिलाफ एकजुट संघर्ष की जरूरत है। **बीमा कर्मचारी संघ** हल्द्वानी डिवीजन के **मनोज गुप्ता** ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 5 बी को खत्म कर देने का मतलब रोजगार सुरक्षा के मौजूदा क़ानूनी अधिकार का भी छिन जाना। जबकि इसकी विभिन्न धाराओं के खात्मे का मतलब कारखानों में मालिकों को ले आफ करने, छंटनी अथवा तालाबन्दी के लिए सरकार से इजाजत लेने की ज़रूरत भी खत्म। **बैंक कर्मचारी मंच** के **गिरीश जोशी** ने बैंकों में वी. आर.एस. का उदाहरण देते हुए कहा कि आज स्वैच्छिक अवकाश योजना के नाम पर कर्मचारियों को जबरिया बाहर निकालने का दौर चल रहा है। यह न तो "स्वैच्छिक" है न ही "सेवानिवृत्ति" है। इससे कर्मचारियों की छुट्टी के साथ ही पद भी समाप्त हो जाता है।

सभा व प्रदर्शन में **नारी सभा** के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने भी भागीदारी की। इस अवसर पर **क्रान्तिकारी लोक अधिकार संगठन, अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मंच, ईस्टर इण्डिया इम्प्लाइज यूनियन, उत्तरांचल निकाय कर्मचारी महासंघ, एफ.सी.आई.वर्कर्स यूनियन** के कार्यकर्ताओं तथा रोडवेज चालकों सहित सैकड़ों मज़दूरों-कर्मचारियों ने भागीदारी की। नारे लिखे तख्तियों के साथ लोगों ने क्रान्तिकारी गीत गाए और नारे लगाए।

श्रम क़ानूनों में बदलावों के खिलाफ ज्ञापन देने के बाद 'संयुक्त मज़दूर संघर्ष मोर्चा' के नेतृत्व में खटीमा स्थित ईस्टर इण्डस्ट्रीज में मौजूदा विवाद को खत्म करवाने, कारखाना परिक्षेत्र से धारा 144 खत्म करने, बोनस के न्यायोचित मांग को पूरा करवाने व श्रमिकों पर लगे फर्जी मुकदमों की वापसी तथा श्रमिकों पर अवैधानिक तालाबन्दी व निलम्बन के खात्मे के सन्दर्भ में भी जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को ज्ञापन सौंपा गया।

श्रम क़ानूनों में बदलाव के खिलाफ भेजा गया ज्ञापन

'लचीलेपन' के नाम पर श्रम क़ानूनों के मौजूदा स्वरूप में फेरबदल का जो प्रावधान प्रस्तावित है वह लचीला नहीं बल्कि मज़दूरों-कर्मचारियों के लिए और ज़्यादा कठोर है। यह प्राप्त जनवादी अधिकारों पर कुठाराघात है। एक तरफ तो तमाम कारखानों में अभी भी पुराने श्रम क़ानून ही लागू नहीं हो पाये हैं। नब्बे प्रतिशत से ज़्यादा कारखानों में प्रबन्धतंत्र का मनमानापन और उनका अपना क़ानून चलता है। अब नये परिवर्तनों से ठेकाकरण बढ़ेगा तथा प्रबंधक वर्ग की मनमानी और ज्यादा बढ़ जायेगी।

श्रम मंत्रालय द्वारा श्रम क़ानूनों मे बदलाव के लिए प्रस्तावित मसविदा श्रमिकों के रोजगार सुरक्षा की गारण्टी को खत्म करने व प्रबंधतंत्र के हाथों को मजबूत करने वाला है। उदाहरण के तौर पर 'औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947' के अध्याय 5-बी को पूरी तरह से खत्म कर देने का मतलब है कि रोजगार सुरक्षा का क़ानूनी हथियार भी छिन जाना। इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 25 एम, एन, ओ के खात्मे के बाद कारखानों में क्रमशः ले आफ करने, छंटनी अथवा तालाबन्दी के लिए तीन माह की नोटिस देने व कारखाना बन्दी के लिए प्रबन्ध तंत्र द्वारा सरकार से इजाजत लेने की आवश्यकता खत्म हो जायेगी। विवाद की स्थिति में त्रिपक्षीयवार्ता से सरकार की भूमिका समाप्त हो जाने से विवाद निपटने की जगह और उलझेगा और प्रबंधतंत्र का मनमाना दबाव और ज़्यादा बढ़ जायेगा। इसी प्रकार तमाम इकाइयों (विशेषकर इलेक्ट्रानिक व निर्यात-प्रसंस्करण इकाईयों) में आठ घंटे शिफ्ट ड्यूटी के स्थान पर बारह घंटे ड्यूटी का प्रस्ताव भी श्रमिकोंपर सीधा अन्याय है।

'ठेका मज़दूर अधिनियम, 1970' में परिवर्तन का प्रस्ताव ठेकाकरण की प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ाने वाला और स्थाईकरण की प्रक्रिया को खत्म करने वाला है। पिछले दिनो **ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926'** में जो परिवर्तन हुआ है वह ट्रेड यूनियन अधिकार को कुचलने वाला व श्रमिक आंदोलन पर और ज़्यादा जकड़बन्दी बढ़ाने वाला है।

ऐसे में **हम सभी मज़दूर-कर्मचारी और आम नागरिक आपसे श्रम क़ानूनों में इन घातक परिवर्तनों को रोकने, ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन को वापस लेने व ठेकाकरण की प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग करते हैं। साथ ही, आपसे हमारी यह भी मांग है कि मौजूदा श्रम क़ानूनों को ही सभी जगहों पर न्यायसंगत ढंग से लागू करवाने की व्यवस्था की जाये।** यदि जनभावनाओं का ख्याल करके ये परिवर्तन नहीं रोके गये तो श्रमिक असंतोष विस्फोट का रूप ले सकता है और इसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार होगी।

हम हैं,
उत्तरांचल राज्य व
उत्तर प्रदेश सीमान्त क्षेत्र के
मज़दूर-कर्मचारी-शिक्षक-छात्र
व आम नागरिक

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी डा. दूधनाथ द्वारा 69, बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित एवं उन्हीं के द्वारा वाणी ग्राफिक्स, अलीगंज, लखनऊ से मुद्रित। कम्पोजिंग : कम्प्यूटर प्रभाग, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
संपादक मण्डल : डा. दूधनाथ, मुकुल। सम्पादकीय पता : 69, बाबा का पुरवा, पेपर मिल रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006, सम्पादकीय उपकार्यालय : जनगण होम्यो सेवासदन, मर्यादपुर, मऊ।